राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 3 ■ अंक 04 ■ जुलाई-अगस्त संयुक्तांक 2019 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 40

जम्मू - कश्मीर
राष्ट्रीयता का ज्वार

बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जुटे अभाविप कार्यकर्ता

पौधरोपण करते अभाविप, हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता

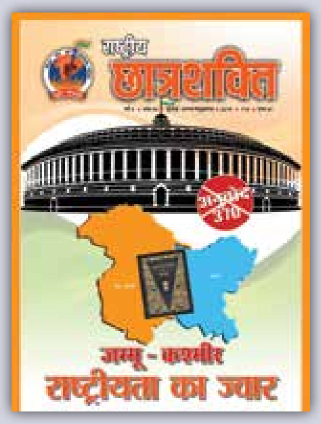

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 3, अंक 04
जुलाई – अगस्त, 2019

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

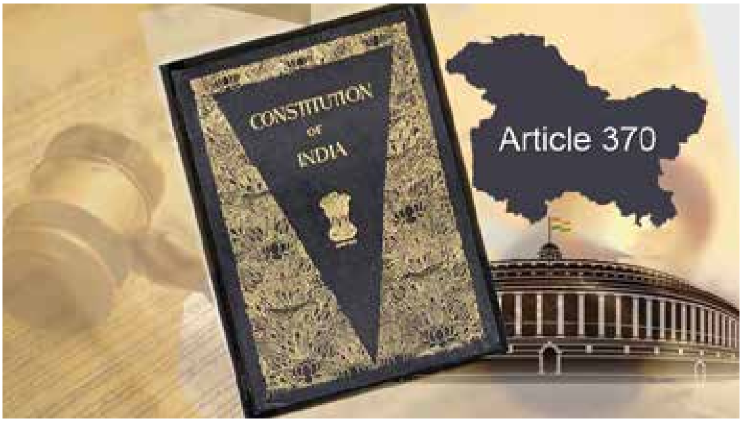

05 **राष्ट्रीयता का ज्वार**
परिवर्तन का चक्र घूमा और असंभव भी संभव हो गया। 5 अगस्त को प्रातः भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक आदेश क्र. 272 जारी किया। इसमें महामहिम राष्ट्रपति की ओर से...

संपादकीय 04
KASHMIR FESTERING SORE UNDER THE SURGEON'S KNIFE 11
SFI'S HOOLIGANISM CONTINUE… 14
सीबीएसई द्वारा बढ़ाये गये परीक्षा शुल्क पर पुनर्विचार करे सरकार: अभाविप 15
यह भारत केन्द्रित शिक्षा नीति है: डॉ. एम. के. श्रीधर 16
राजधर्म के पथ पर पंथनिरपेक्षता का पेंच 18
जिग्नासा का राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में संपन्न 20
संस्कृत की चुनौतियां और भावी सम्भावनायें 21
अभाविप की मांगो पर राज्यपाल ने दिया कार्रवाई का आश्वासन 24
INDIA AND SCO: SHARED PAST–COMMON FUTURE 25
लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी होना बेहद जरूरी: आनंद कुमार 27
यह जिंदगी है कौम की, तु कौम पे लुटाए जा..... 28
जबलपुर में अभाविप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज 30
अभाविप के 70 वें स्थापना दिवस पर आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम 31
बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटे अभाविप कार्यकर्ता 32
भारत को अग्रणी देशों में स्थापित करेगी चंद्रयान–2 की सफलता 33
सफलता और सफल होने की उम्मीदों का दौर 35
परिचर्चा: क्या अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले जम्मू – कश्मीर के नेताओं को भरोसे में लेना चाहिए था ? 37

वैधानिक सूचना : राष्टीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

एक कुहासा मिट गया है। अनुच्छेद 370 का जो लौह आवरण जम्मू कश्मीर को घेरे था वह अब नहीं रहा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अब यह बार-बार नहीं दोहराना होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अब यह ऐसा सच है जिस पर कोई किन्तु-परंतु नहीं। यह नया भारत है जहाँ एक देश में एक विधान है, एक प्रधान है और एक ही निशान है।

11 सितम्बर 1990। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है के नारे लगाते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं की टोलियाँ देश भर से कश्मीर की ओर बढ़ रही थीं। श्रीनगर के जिस लाल चौक पर आतंकवादियों और अलगाववादियों ने तिरंगे का अपमान किया था, उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराने की घोषणा अभाविप ने की थी। आतंकवाद चरम पर था। उसे चुनौती देने के लिये हजारों निहत्थे नौजवान परिषद के नेतृत्व में चल पड़े थे। मन में विस्थापितों की पीड़ा आंखों से फूटती चिंगारियां। बलिदानी भाव से मिल कर युवा आक्रोश एक ऐसे भाव का सृजन कर रहा था जो अभूतपूर्व था। पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था।

कितने सम्मेलन, कितने प्रस्ताव, कितने आंदोलन, कितने कार्यक्रम। गिनती नहीं। जनजागरण के नये-नये प्रयोग। गाँव-गाँव, गली-गली जम्मू कश्मीर की पीड़ा को गाते, अलख जगाते परिषद कार्यकर्ता पीढ़ी-दर-पीढ़ी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एकात्मता का ताना-बाना बुनते रहे। धुर दक्षिण हो या पूर्वोत्तर, परिषद कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर देखे बिना भी जम्मू कश्मीर को अपनी सांसों में अनुभव किया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1999 में आयोजित एक सभा में मुख्य वक्ता से पूछा गया कि अनुच्छेद 370 कब और कैसे हटेगा। वक्ता ने उत्तर दिया - लोकतंत्र में जरूरी होता है बहुमत। जिस दिन देश की जनता हमें बहुमत देगी, हम आगे बढ़ेंगे। निर्णय लेने के लिये हौंसला चाहिये, वह हम में है। कलम की नोंक और एक बूँद स्याही से हम यह फैसला लिख देंगे। यह एक संकल्प था जो राष्ट्रीय विचार के साथ खड़े हर कार्यकर्ता ने अपने मन में संजो रखा था। न जाने कितने लोगों के जीवन की साध थी कि जम्मू कश्मीर का अलगाव दूर हो और वह सच्चे अर्थों में भारत बन जाये।

और अचानक, समाचार मिला कि अनुच्छेद 370 हट गया है और साथ ही उसकी आड़ में लगे सारे प्रतिबंध भी। अकल्पनीय खुशी के चलते पुराने कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू छलक आये। स्व. सुषमा स्वराज जी द्वारा अपने निधन से पूर्व किया गया ट्वीट उस भाव को व्यक्त करता है।

लाखों कार्यकर्ताओं ने न केवल इस दिन का सपना देखा था बल्कि इसे पूरा करने के लिये अपना पसीना और खून भी बहाया था। आज का दिन उनके योगदान को स्मरण करने का दिन है। राष्ट्रीय एकात्मता को पूरा करने के लिये जम्मू कश्मीर को नये सिरे से गढ़ने के संकल्प का दिन है। मुख्य धारा से दशकों तक कटे रहे वहां के निवासियों को हृदय से लगाने का दिन है। इस निर्णय से उपजे राष्ट्रीयता के ज्वार को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के अभियान का दिन है।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना सहित,

आपका
संपादक

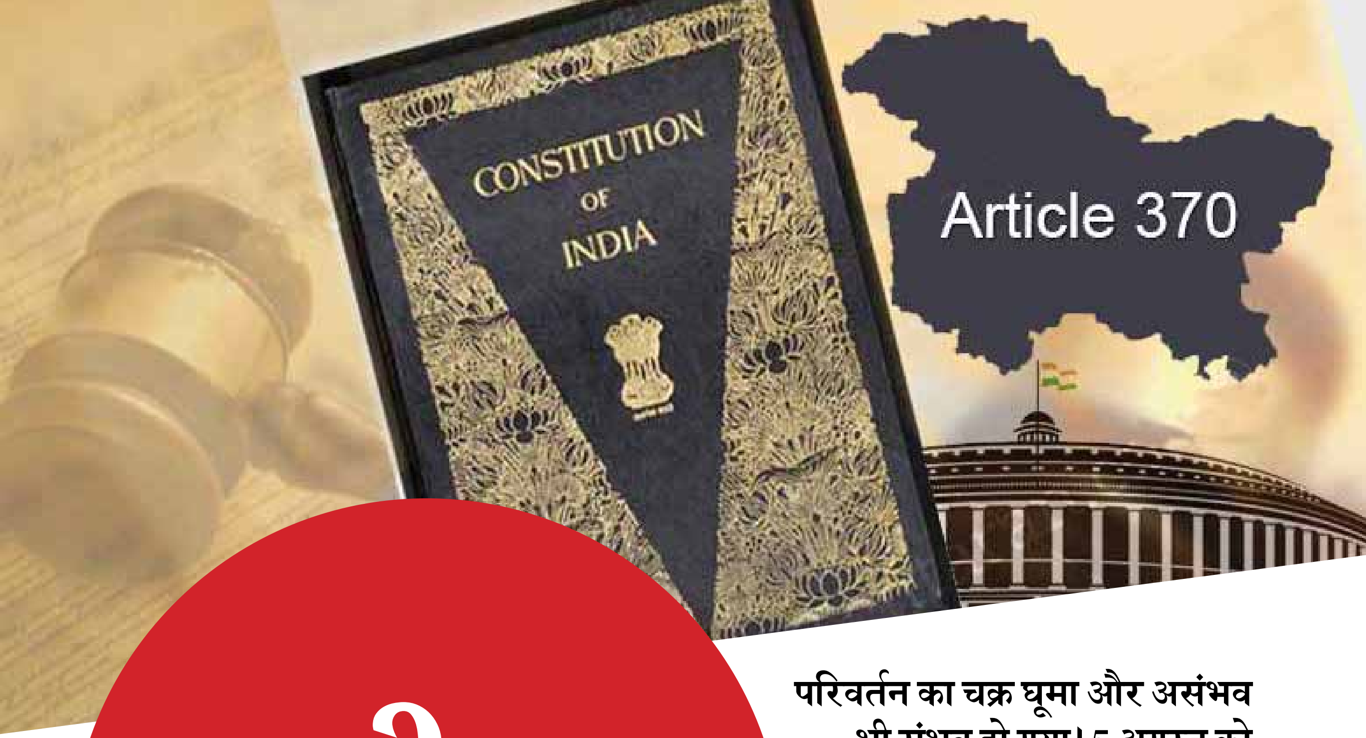

राष्ट्रीयता का ज्वार

। आशुतोष भटनागर ।

परिवर्तन का चक्र घूमा और असंभव भी संभव हो गया। 5 अगस्त को प्रातः भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक आदेश क्र. 272 जारी किया। इसमें महामहिम राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 370 के उपबंध 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 के लागू होने की अधिसूचना जारी की गयी।

मानो धैर्य के समुद्र ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया हो और राष्ट्रीयता के ज्वार में पूरा भारत डूब गया। अनुच्छेद 370 हट गया। दशकों का सपना पूरा हुआ। जीवन खपा दिया इस संकल्प के साथ कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटायेंगे। संकल्प पूरा हुआ तो सहज विश्वास ही नहीं हो रहा। संघर्ष के बीच भी मन में कहीं यह संदेह था कि कहीं असंभव सपना तो नहीं पास बैठे ? क्या पाकिस्तान मानेगा ? क्या दुनियाँ ऐसा करने देगी ?

परिवर्तन का चक्र घूमा और असंभव भी संभव हो गया। 5 अगस्त को प्रातः भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक आदेश क्र. 272 जारी किया। इसमें महामहिम राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 370 के उपबंध 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 के लागू होने की अधिसूचना जारी की गयी।

यह बिल्कुल वही संवैधानिक प्रक्रिया थी जिसका पालन करते हुए 1954 का आदेश जारी किया गया था। नये आदेश ने 14 मई 1954 को जारी किये गये आदेश को निरस्त कर दिया। इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा गया जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर भी राज्यों की सामान्य सूची में

शामिल हो गया। इसका सीधा अर्थ यह है कि संसद द्वारा बनाये जाने वाले कोई भी नियम अथवा संशोधन संघ में शामिल अन्य किसी भी राज्य की भाँति जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे और इसके लिये राज्य की विधानसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के राज्यों की सामान्य सूची में शामिल न होने के कारण अब से पहले भारतीय संविधान मं किया गया कोई भी संशोधन अथवा नया नियम राज्य में स्वतः लागू नहीं होता था। स्थानीय राजनैतिक दलों द्वारा इस व्यवस्था को ही राज्य का विशेष दर्जा बता कर लोगों में अलगाव का भाव पैदा किया जाता था।

इसी के साथ, राज्य की विधान सभा में अब राज्य संविधान सभा की शक्तियां विहित होंगी। पहले विधानसभा राज्यपाल को अपनी सिफारिश भेजती थी जिसे राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति को आदेश जारी करने के लिये अग्रेषित करते थे। अब यह कार्य अन्य राज्यों की तरह विधानसभा के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल कर सकेगा। संसद में सरकार ने दो विषय विचारार्थ रखे। अनुच्छेद 370 के उपबंध 2 व 3 को समाप्त कर दिया जिसके अनुसार अनुच्छेद 370 की समाप्ति के लिये राज्य संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक थी। अनुच्छेद 370 के उपबंध 1 का उपयोग कर राष्ट्रपति 2019 का संवैधानिक आदेश जारी किया है।

एक अन्य प्रस्ताव लाकर सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर दो केन्द्र शासित राज्यों का गठन किया। लद्दाख को बिना विधानसभा के केन्द्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। लेह व करगिल पर्वतीय विकास परिषदें यथावत अपना काम करती रहेंगी। वहीं जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विधान सभा होगी जिसमें परिसीमन के पश्चात सीटों की संख्या 114 तक बढ़ाई जा सकेगी। इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल होगा।

संविधान सभा में हुई चर्चा को देखें तो स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था ताकि देश के संविधान के प्रावधान राज्य में लागू किये जा सकें, किन्तु उसका सहारा लेकर अनेक प्रावधान पीछे के दरवाजे से लागू कर दिये गये। 14 मई 1954 को जारी किया गया संवैधानिक आदेश इसकी एक श्रंखला का ही हिस्सा था जिसने एक ओर देश के नागरिकों के संविधानप्रदत्त अधिकारों का हनन किया दूसरी ओर राज्य के निवासियों को मुख्य धारा से वंचित

रखा।

जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू का अपना निश्चित दृष्टिकोण था। उनके मंत्रिमण्डलीय सहयोगी और सदन में अन्य सभी दलों के दिग्गज नेता भी उन्हें अनेक प्रकार के सुझाव देते थे किन्तु स्वयं के कश्मीर होने के नाते जम्मू कश्मीर पर वे अपना विशेषाधिकार मानते थे। वहाँ के महाराजा हरि सिंह को वे नापसंद करते थे और श्रीनहर के जननेता शेख अब्दुल्ला से उन्हें अतिरिक्त लगाव था। अपनी इस व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के चलते वे लोगों और उनके सुझावों का मूल्यांकन अपनी बनायी कसौटियों पर ही करते थे। इसका एक उदाहरण हम 1952 में सदन में जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर हुई एक चर्चा में देख सकते हैं।

7 अगस्त 1952 को संसद में हुई चर्चा के दौरान डॉ. मुखर्जी के प्रश्न के उत्तर में पं. नेहरू ने संविधान को गौण और राज्य की जनता को भारत में रहने अथवा

न रहने का निर्णय करने के लिये स्वतंत्र बताया गया। उनके अनुसार राज्य की जनता की इच्छा वही थी जो शेख अब्दुल्ला चाहते थे। इस पर डॉ मुकर्जी ने कहा कि अब हम पास जनता के बीच जाकर जनमत निर्माण के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। प्रजा परिषद के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को उनका समर्थन प्राप्त हुआ और वह स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया। इसी संकल्प के चलते डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया जिसका दुखद परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में सामने आया। स्वतंत्र भारत में यह पहला बलिदान था जो जम्मू कश्मीर के लिये दिया गया।

जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एकात्म करने के प्रयास राज्य के अंदर भी चल रहे थे । प्रजा परिषद का पूरा आंदोलन एकात्मता का आंदोलन था। तिरंगा हाथ में लेकर भारत का संविधान राज्य में लागू करने की मांग करने वाले हजारों लोगों पर बर्बर अत्याचार किये गये और दिल्ली की नेहरू सरकार उन्हें कुचल देने के

अभाविप का कश्मीर बचाओं संकल्प

- 11 फरवरी 1990 अभाविप द्वारा जम्मू में प्रतिनिधि सभा का आयोजन
- 05 मार्च 1990 जम्मू में राष्ट्रसंघ कार्यालय के सामने प्रदर्शन तथा धरना प्रदर्शन
- 24 मार्च 1990 विस्थापित छात्रों के लिए अभाविप का सदस्यता अभियान
- 05 अप्रैल 1990 जम्मू में धारा 144 लागू होने के बावजूद 5000 छात्रों का जुलूस
- 08 से 12 अप्रैल 1990 जम्मू - कश्मीर का प्रत्यक्ष मुआयना, 05 सदस्यों का दल की प्रशासन अधिकारी एवं पत्रकारों से भेंट
- 10 अप्रैल 1990 जम्मू में अभाविप का संगठनात्मक अधिवेशन
- 24 अप्रैल 1990 कश्मीर शाखा की विधिवत स्थापना । 'मास प्रमोशन' तथा परीक्षा परीणाम के लिए आंदोलन
- 28 से 37 मई कश्मीर योजना हेतु गोवा में विचार बैठक
- 20 जून 1990 संपूर्ण भारत में 'कश्मीर बचाओ' संकल्प दिवस का आयोजन । प्रकट शस्त्र पूजन, रक्ततिलक, बेनिजीर पुतला दहन, पाकिस्तान के झंडे का दहन ।
- 05 से 09 जुलाई 1990 जम्मू - कश्मीर मे 'शिक्षा जागृति' अभियान । विस्थापितों के शिविर में महाविद्यालयों का प्रारंभ
- 24 जुलाई 1990 - दिल्ली में युवा नेताओं का 'कश्मीर आपत्ति राष्ट्रीय सम्मेलन' संपूर्ण देश से 458 प्रतिनिधयों की उपस्थिति । प्रमुख उपस्थिति अरुण शौरी, गिरीलाल जैन, ए. पी. व्यंकटेशन, शामलाल शकधर, केदारनाथ साहनी, शेषाद्री जी, हरेन्द्र कुमार, रामस्नेही गुप्त, बाल आपटे ।
- 09 अगस्त 1990 से 15 अगस्त 1990 संपूर्ण भारत में कश्मीर जनजागृति तथा अखंड भारत सप्ताह का आयोजन
- 14 अगस्त 1990 अखंड भारत स्मृतिदिन
- 22 अगस्त 1990 देश में महाविद्यालय बंद
- 11 सितंबर 1990 चलो कश्मीर
- 14 सितंबर चलो दिल्ली - प्रधानमंत्री आवास के सामने धरणा आंदोलन

निर्देश जारी कर रही थी। सत्याग्रही देशभक्तों पर दर्जनों जगहों पर पुलिस ने लाठी भांजी, हजारों लोग देश भर में गिरफ्तार कर जेलों में ठूंसे गये, जिनमें बड़ी संख्या में महिलायें भी थी। जम्मू में जगह-जगह प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के आदेश पर पुलिस ने गोली चलायी जिसमें 17 नागरिकों की मौत हुई। जली हुई लाशों पुलिस की बर्बरता की कहानियां कह रही थीं। देशभक्तों के हाथों में थमे तिरंगे दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहे।

पं. नेहरू के जाने के बाद भी कांग्रेस ने वही तरीका बनाये रखा। देश की इच्छा से परे अपनी राय को पूरे देश पर थोपना यह कांग्रेस की कार्यशैली का हिस्सा बन गया। 1964 में पुनः इसी मुद्दे पर सदन में हुई चर्चा पर कांग्रेस ने अजीब रुख अपनाया। उत्तर प्रदेश से निर्दलीय सांसद श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत निजी विधेयक पर संसद में हुई चर्चा देश की भावना को स्पष्ट करती है जिसमें सदन में सब सदस्यों ने एकमत होकर अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही। कांग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट, जनसंघ और निर्दलीय, सभी सांसद अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाने के पक्ष में थे। इस बिल के समर्थन में श्री एच एन मुखर्जी, श्री सरजू पांडेय, श्री मधु लिमये और श्री राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज सांसदों ने अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थन में वक्तव्य दिये।

जम्मू कश्मीर से लोकसभा के लिये चुने गये सांसद श्री इन्दर मल्होत्रा, श्री समनानी, श्री अब्दुल गनी गोनी, श्री गोपाल दत्त मेंगी आदि ने भी इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटा देना चाहिए। सदन का मत था कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की प्रगति में बाधक है। जम्मू कश्मीर के श्री अब्दुल गनी गोनी ने तो यह भी कहा कि 'जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया, पर केंद्र सरकार इसके लिए राज़ी नहीं थी। सरकार पश्चिमी देशों को या पाकिस्तान को खुश रखना चाहती है। केंद्र सरकार और कांग्रेस ने कश्मीर के लोगों के साथ न्याय नहीं किया है।' उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष, दोनों ही सांसदों से 370 को हटाने के लिए इस विधेयक के पक्ष में मत डालने कि प्रार्थना की।

जम्मू कश्मीर के सांसद गोपालदत्त मेंगी ने ऐसे

प्रावधान की मांग कि जिससे भारत का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू हो जाय। जम्मू कश्मीर के ही एक और सांसद श्री समनानी ने कहा कि 'कश्मीर के लोगों ने कभी यह माँग नहीं की थी कि उनको अलग रखा जाय। हम 370 को कायम नहीं रखना चाहते हैं।........ मैं इस दफा को अपनी ज़िन्दगी में ख़त्म करना चाहता हूँ, अपनी सेफ्टी, अपने बाल बच्चों की सेफ्टी, आनेवाली नस्लों की सेफ्टी के लिए....' । उन्होंने गृहमंत्री से यह भी पूछा की 370 आज तक क्यों रखी गयी है और वे क्यों इसे रखना चाहते हैं I

पूरे सदन में अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए सहमति बन गयी थी। तब उस समय के गृह मंत्री गुलज़ारीलाल नंदा ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि जो भावनाएँ प्रकाशवीर शास्त्री के मन में हैं, वो हमारे मन में भी हैं। हम जल्दी ही कुछ करना चाहते हैं, पर तरीका ठीक होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए I बावजूद इसके कांग्रेस ने इस विधेयक के विरोध में व्हिप जारी किया। श्री शास्त्री ने कांग्रेस के ही वरिष्ठ सांसदों के वक्तव्यों का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर के प्रधानमंत्री श्री सादिक़ भी धारा 370 को हटाने के पक्ष में है। भारत सरकार के मंत्रिमण्डल के एक सदस्य श्री छागला ने सुरक्षा परिषद् से लौट आने के बाद पार्लियामेंट में अपना पहला वक्तव्य यह दिया था कि 370 को संविधान से हटा देना चाहिए।

अंत में विधेयक को लाने वाले सांसद श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि 'सरकार ने अपनी दुर्बल नीति छुपाने के लिए व्हिप ज़ारी किया है कि मेरे विधेयक के विरोध

संसद में अनुच्छेद 370

- 1964 में उत्तर प्रदेश से निर्दलीय सांसद प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत निजी विधेयक पर संसद में हुई चर्चा ने प्रकट की थी देश की भावना
- सदन में सभी सदस्यों ने एकमत होकक अनुच्छेद 370 को हटाने को कहा था
- कांग्रेस, समाजवादी, कम्युनिष्ट, जनसंघ और निर्दलीय, सभी सांसद थे अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाने के पक्ष में।
- एच. एन. मुखर्जी, सरजू पांडेय, मधु लिमये और राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज सांसदो ने अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थन में दिये थे वक्तव्य।
- जम्मू – कश्मीर से लोकसभा सांसद – इंदर मल्होत्रा, समनानी, अब्दुल गनी गोनीस गोपाल दत्त मेंगी आदि ने भी कहा था अनुच्छेद 370 हटा देना चाहिए।
- 5 अगस्त 2019 को संविधान (जम्मू – कश्मीर में लागू) आदेश 2019 के लागू होने की अधिसूचना उसी संवैधानिक प्रक्रिया से जारी की गई जिसका पालन करते हुए 1954 का आदेश जारी किया गया था।
- नये आदेश ने 14 मई 1954 को जारी किये गये आदेश को निरस्त कर दिया।
- इसी प्रक्रिया के तहत ही जोड़ा गया अनुच्छेद 367 में उपबंध 4, जिसके अनुसार जम्मू – कश्मीर भी राज्यों की सामान्य सूची में शामिल हो गया।

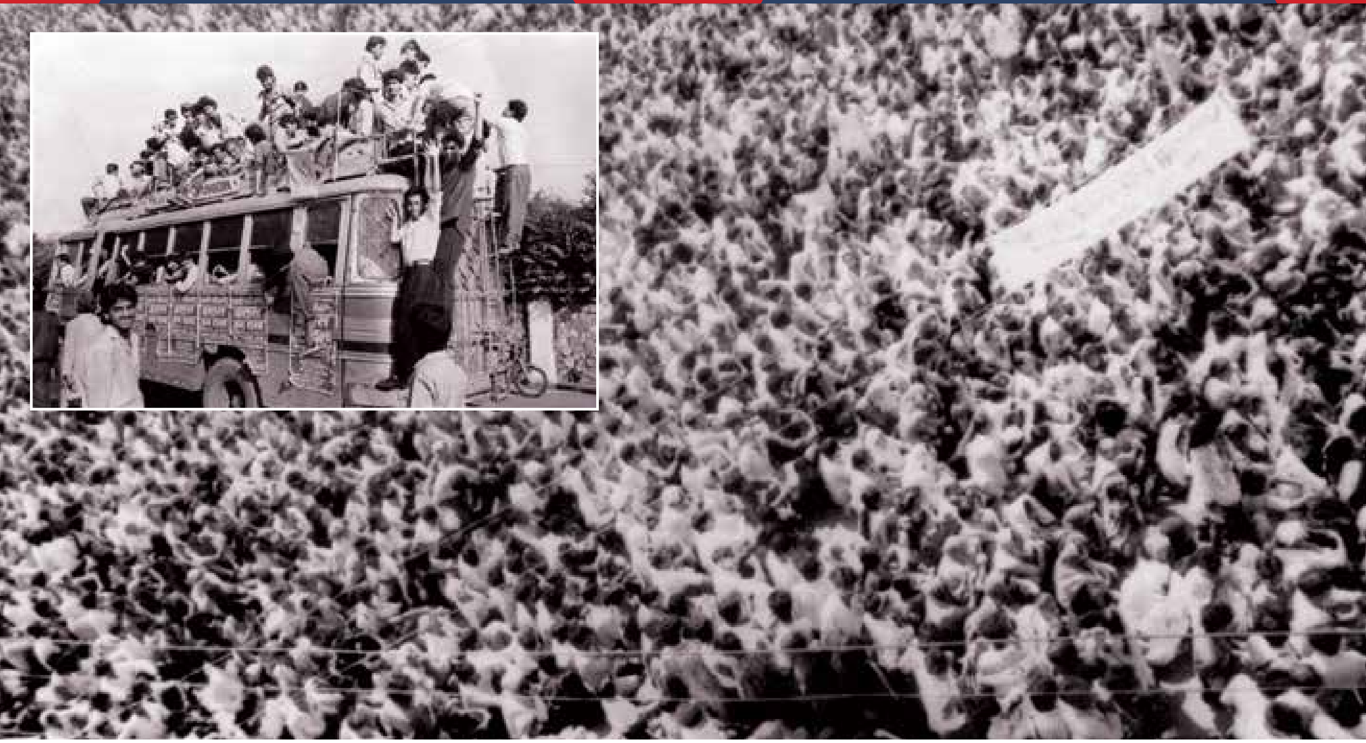

में मत दें। हो सकता है कि मेरा विधेयक गिर जाये पर हिंदुस्तान का इतिहास उन्हें इस बात के लिए क्षमा नहीं करेगा। पार्टियां छोटी होती हैं, देश सबसे बड़ा होता है। इतिहास में जब लिखा जायेगा कि इस प्रकार सर्वसम्मत समर्थन मिलने के बाद भी केवल एक मंत्री के खड़े होकर विरोध करने के कारण लोगों की राय बदल गयी तो लोकसभा के इतिहास में जनतंत्र की हत्या लिखी जाएगी।'

सच बात तो यही है कि अपनी ग़लतियों पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस ने अपने सांसदों से इस विधेयक के विरोध में ही मत डलवाया। पक्ष और विपक्ष के एकमत होने के बावजूद लोकतंत्र की अवमानना का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सर्वसम्मति मिलने के बाद भी, और गृह मंत्री द्वारा सही तरीके से 370 को हटाने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद आज तक अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया गया था। स्पष्ट है, मामता तकनीकी अथवा विधायी नहीं था। ऐसे में यदि एक के बाद एक आने वाली सरकारों की नीति और नियत पर देश में संदेह व्याप्त हो गया तो आश्चर्य का कोई कारण नहीं।

तथ्य बताते हैं कि कश्मीर घाटी की जनता भी भारत से अलग होने के पक्ष में नहीं थी। प्रसिद्ध फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने पूरी कश्मीर घाटी में भ्रमण करने के बाद कहा कि कश्मीर भारत के ही साथ जायेगा। लेकिन जनता की इच्छा के विरुद्ध निजी राजनैतिक हित के लिये अनुच्छेद 370 की आड़ में ऐसे प्रावधान राज्य में लागू किये गये जो मुख्य धारा से काटने में सहायक थे। राज्य की जनता को अलग-थलग करने के इस षड्यंत्र का अंतिम परिणाम वही होना था जो हमने 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन सदन में घटित होते देखा।

अनुच्छेद 370 का हटना समय की माँग थी। राज्य की जनता के साथ हो रहे अन्याय को आखिर कब तक बनाये रखा जा सकता था। यह कोई विजय का उत्सव नहीं है। यह राज्य की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित किये जाने के दायित्व का निर्वहन है जिसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। अब देश का दायित्व है कि जम्मू कश्मीर की भूमि, वहां के लोग, वहां का लोकजीवन, वहां की कला और भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिये तत्पर हों। इस प्रक्रिया में से भारत एक एकात्म राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभरे, यही फलश्रुति अपेक्षित है। इस दिन को लाने के लिये जिन लोगों ने कष्ट सहे, अपने जीवन को होम कर दिया, आज उनको भी स्मरण करना हम सभी का कर्तव्य है। ■

Kashmir festering sore under the surgeon's knife

| K.N. Pandita |

Kashmir problem was at the top of BJP's agenda from day one of Modi-02 administration. The reason for BJP to pull the carpet under the feet of the coalition government was it's dark foreboding that Kashmir was made to gravitate to theocratic propensity. This apart, the historic decision taken on 5 August was precipitated by an alleged understanding between Trump and Imran Khan during latter's visit to Washington. Curiously, Imran Khan calls the scraping of the special status of J&K "a slap by the Indian government on the face of Trump." He means to provoke Trump against India's defiant mood.

Eager to extricate the US from Afghan imbroglio as early as possible so as to familiarize his candidature for the second presidential term, Trump appears to have agreed to barter Kashmir in return for Imran's promise to bail him out. The two day-dreamers have tremendous capacity of making a laughing stock of them.

A couple of things need to be taken note of. Soon after Imran's return from a meeting with President Trump, there was sudden escalation of tension and firing along the LoC. Several attempts of infiltration were made by the fidayeen within a short span of one week. Simultaneously, a special Pakistani official delegation left for US to sell the idea of mediation on Kashmir to the US lawmakers and think tanks. At the same time, China also issued a statement endorsing mediation by third party in Kashmir. Exclusion of India and President Ashraf Ghani from the Afghan negotiating group indicated that Trump's had succumbed to pressure from Pakistan.

Much ahead of Modi's Kashmir Mission these developments converged on deepening of tension between the two countries soon after Imran's return from Washington. Much noise was raised by marginalized valley leadership, particularly Mahbooba Mufti and Omar Abdullah, that Kashmir's identity was under serious threat. However, owing to alert Governor's rule neither the Indian intelligence nor administration could go napping. The decision of treating this festering wound was on the anvil.

Observers speculated several options before Modi to meet the external as well as the internal threat. It could be the scraping of 370 or 35-A or both. It could be an ultimatum to Pakistan to be prepared for the grave consequences of escalating tension. It could also be an intimidating move on the part of Indian intelligence agencies. Modi kept the cards close to his chest. Much did the traditional valley Muslim leadership try to scuff a clue here and here but the plan of revoking the special status of J&K in the Indian Constitution was kept a closely guarded secret. At the same time it was laboriously studied, discussed and finally approved by the Prime Minister and his two close confident aids, the Home and Security Ministers. This also explains the reason for army chief and senior commanders in J&K paying frequent visits to the borders and forward pickets to ensure that all security measures were in place.

The most curious part of the story was if at all the Home Minister planned to make a big adventure of scrapping the special status of the State how would it be brought about without jeopardizing constitutional

provisions. Constitutional propriety had not to be violated. As we try to study the Presidential order in this context, we come to a curious point made by the Home Minster while presenting the order in the Rajya Sabha. He said, "The August 5 Presidential order has been issued under clause 1 of Article 370. The same clause was used in 1954 to issue the Presidential order that granted special status to Jammu-Kashmir". After issuing today's (August 5, 2019) orders all orders or amendments issued under the same clause in 1954 stand revoked. In 1954, the then Congress government had taken recourse to the same clause and brought in Article 35-A to further strengthen Article 370. The Home Minister did not propose any amendment to Article 370 nor did he get bogged with the nitty-gritty of a plethora of constitutional provisions. In terms of legalities, the President of India signed an order on the morning of August 5, 2019 now called Constitutional order 272. Both Houses of the Parliament have approved revocation of Article 370 doing away with special status to J&K. In another bill which also stands passed by both the houses, J&K has been bifurcated into two Union Territories, one of Ladakh and the other of J&K.

Notably, Modi government has also amended Article 367 and added Clause 4 to it which now includes Jammu-Kashmir in general category along with other states. Earlier it was not included in the category of states referred to as 'the said states' in this Article. But now it is also a part of the 'said states.' So Jammu-Kashmir is now like any other state when it comes to applying Constitutional provisions. The power which was vested in Legislative Assembly in the state is now vested in the Governor (read Lt. Governor). Earlier the assembly used to recommend to the Governor and the latter used to recommend further to the President of India. Now like any other state, the council of ministers will give advice to the Lt. Governor. Constituent Assembly is now to be read as Legislative Assembly. Thus the compulsion to have Constituent Assembly to scrap Article 370 is not required.

Two issues were brought forward by the Modi Government in Parliament. Clause 2 and 3 of Article 370 were scrapped. According to these clauses, recommendation of Assembly was required to scrap Article 370. But now only Clause 1 remains. Two Union territories have been carved out. Ladakh is a Union Territory without assembly. It will have two Hill councils and a Lieutenant Governor. Jammu-Kashmir has been made a Union territory with an Assembly. The Governor as the administrative head continues to perform his role.

The question asked is in what way the doing away with special status will benefit the region of Jammu which has suffered discrimination and deprivation for seven decades? Since J&K will have a legislative assembly, and the valley has ten seats more than Jammu region, the valley—based legislators will continue to remain in majority and hence in power with the capability of carrying on its old discriminatory policy. The removal of special status of the State does not automatically remove the discrimination and injustice done to Jammu region for decades at end.

In fact, the root cause of discrimination of Jammu region will be found in the delimitation of voter constituencies. It is said that the population quantum of Jammu region has been manipulated. The delimitation Act that disallows revision of the delimitation of constituencies till 2026 has been the real source of deprivation of Jammu region. Now that the delimitation Act becomes null and void after dissolving the state into two union territories, the administration shall have to redeem the loss by ordering immediate delimitation of constituencies before the process of election to the Assembly is underway. This also brings into focus two connected concerns. One is conceding to the PoK refugees (1947) their democratic rights and political empowerment because now they are the residents of the Union Territory of J&K. They have a right to their share of the 24 seats reserved for the people

National General Secretary, ABVP, Ramesh Papa addresses the Press Conference in Jammu.

Greater autonomy shall reduce limits of Jammu : ABVP

of PoK in the constitution of the erstwhile J&K State. If that Constitutional provision is null and void, even then they do qualify for exercising the franchise rights. The second concern is of the rights of exiled community of about 3-4 lakh Kashmiri Pandits, the original residents of the Valley but hounded out of their homes and hearths by the Jihadis and terrorists in Kashmir valley in 1990.

The second unresolved issue is of the Hindu minority hounded out of the valley in 1990. Their issue is dimensional: genocide, threatened community, IDPs. Displacement compensation, means of subsistence, restoration of illegally seized properties, right to cultural heritage, and return and restitution in the valley etc in a way that satisfies them. All these issues piled up because the governments in the State and the Centre underplayed their importance just because the Pandits are not any party's vote bank owing to their numerical insignificance. We believe that Article 370 of the Indian constitution and the Constitution of the erstwhile J&K State both were responsible for all that befell this small religious minority. With the State constitution gone, the way is paved for addressing their concerns. Hopefully, the follow-up administrative action to the dismemberment of the statehood of J&K will take care of their concentrated restitution in the valley together with its adjuncts.

Finally, scraping special status through Article 370 has liberated the people of Jammu, Kashmir and Ladakh from seventy years of dynastic and hegemonic rule and widespread corruption and nepotism. Their isolation has comes to an end. A vast prospect of all-round development opens up for all people of the two union territories. At long last, the festering sore of Jammu, Kashmir and Ladakh has come under the surgeon's knife. It will take the wounds some time to heal. ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' जुलाई-अगस्त संयुक्तांक 2019 आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

SFI's hooliganism continue...

SFI's hooliganism never ends... Pretending to be the apostles of freedom of speech and expression before the society, they actually deny even the fundamental rights of students in their stronghold campuses. University College, an educational pride of Kerala, that witnessed such a barbarian act, when Akhil, a 3rd year BA student has been stabbed by SFI unit committee members, after a verbal tussle about the warning imposed by SFI, regarding his singing in the college canteen. He has been thrashed brutally and stabbed at chest. It led to a massive protest by students against SFI and they demanded an urgent action on the issue. They even demanded the dispersal of the union led by SFI and unit committee. Many students said openly against SFI and their totalitarian oppression's. In such a situation, students demanded the free functioning of other Students organisations in University college campus and smooth conducting of elections with a view to prevent the fascism of SFI.

Actions against the atrocities made by SFI in University College in order to restore a good learning environment in the college. In the last 5 years, 187 students left their studies in University College due to these atrocities. In the last year, Nikhila, a student of BSC chemistry tried to commit suicide which was alleged due to the physical and mental torture given by SFI leaders. No proper action was taken on this issue. Finally she was forced to leave the college and now joined S N College, Varkala. Similarly Arun, a tribal student and two sports men, Ajmal (Cycling) and Sajith (Boxing) were brutally thrashed by SFI and they left college. CPM, the ruling party and Kerala police is giving maximum protection and freedom for these goons, to do whatever they wish. Teachers having leftist ideologies give full support and protect them from any further legal proceedings.

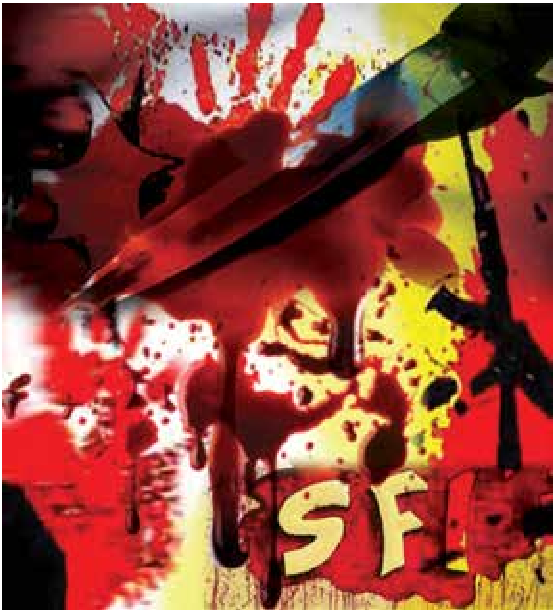

But now it gives some positive optimism that for the first time in the history of University college, the students unanimously raised their voice against the atrocities of SFI. It implicates that the student community in Kerala slowly begin to realize the real face of SFI and in the near future itself, SFI will be kicked out from the campuses across Kerala.

The first accused Sivarenjith's [Unit President] residence has been raided by Police and they recovered Kerala University Examination answer booklets both written and unwritten along with the seal of Physical Education Director. It leads to the allegations raised by Students that SFI Unit members get special consideration during examination that they are allowed along with books and mobile Phones in examination hall. Moreover they use substitutes for writing exams and even answer sheets are allocated prior to exams. Teachers having left ideologies give them full support and assist them in these unlawful deeds. Vice Chancellor of University

of Kerala has ordered for a probe in these issues.

The next is regarding the reliability of Kerala Public Service Commission (KPSC). The first accused Sivarenjith, second accused Naseem (unit secretary) and another unit member, Pranav got high ranks in PSC test for Police constable. Sivarenjith got first rank, Pranav second and Naseem got 28th rank. Although they have applied for the post in Kasargod district, they got Public Service commission examination center in Thiruvananthapuram itself and some got even University college as center. As per the comments from students of University college, these accused are known goons, who are notorious for malpractices in University exams. Hence it make unbelievable that they achieved highest ranks in Public Service Commission exams where thousands of applicants appeared for it. We suspect some irregularities and unlawful deeds from Public Service Commission favoring them, which must be properly investigated. Sivarenjith, the first rank holder in PSC list even got 13 marks as Sports weight-age, which raises a lot of questions in a situation when the official seal of Physical Education Director was recovered from Sivarenjith's residence.

Hence in the present status, the issue will not bound only to University college, but it raises a number of questions regarding the reliability and functioning of Kerala Public Service Commission, University of Kerala and Physical Education Directorate. ■

By Rashtriya Chhatrashakti campus reporter

सीबीएसई द्वारा बढ़ाये गये परीक्षा शुल्क पर पुनर्विचार करे सरकार: अभाविप

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है । अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि, सीबीएसई बोर्ड को इस निर्णय के बारे में सभी पहलुओं पर सोचने की आवश्यकता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग करती है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों तथा केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों के छात्रों को ध्यान में रखकर इस तरह के निर्णय में तुरंत सुधार की जाए तथा इस निर्णय में उसी के अनुसार परिवर्तन किया जाए। उन्होंने कहा कि अभाविप का स्पष्ट मत है कि शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार को केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत पढ़ रहे विद्यार्थी आदि तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखकर निर्णय में सुधार की आवश्यकता है।

गौरतलब है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दी है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए यह राशि दोगुनी कर दी है, जिन्हें अब 1500 रुपये भुगतान करना होगा।

बोर्ड ने शुल्क में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। वहीं कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में एक अतिरिक्त विषय के लिए उपस्थित होने के लिए अ.जा/ज.जाति छात्रों को पहले कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता था, उन्हें अब 300 रुपये का भुगतान करना होगा। सामान्य श्रेणी के छात्रों को भी अतिरिक्त विषय के लिए 300 रुपये का भुगतान करना होगा, पहले इसके लिए 150 रुपये का भुगतान करना होता था।■

यह भारत केन्द्रित शिक्षा नीति है: डॉ. एम. के. श्रीधर

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी. एस. आर. सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। उसने शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया लेकिन किसी कारण उसे अनुकूल नहीं पाया और वर्ष 2016 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में नई समिति गठित की गई। 31 मई 2019 को डॉ. कस्तुरीरंजन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया। इस मसौदे में कई नए प्रस्ताव रखे गये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर "राष्ट्रीय छात्रशक्ति" के सहायक संपादक अजीत कुमार सिंह ने प्रख्यात शिक्षाविद एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित कस्तुरीरंजन समिति के सदस्य डॉ. एम. के. श्रीधर से बात की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपे गये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे (ड्राफ्ट) के बारे में बतायें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया चार साल पहले शुरू कर दी गई थी । इस नीति को तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में लोगों से संपर्क किये उसके बाद टी.एस.आर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में एक समिति बनी उसका रिपोर्ट और उसके बाद में बनी हमारी समिति के रिपोर्ट को मिलाकर इस मसौदे को तैयार किया गया है । मसौदे को तैयार करने के पहले हमलोगों ने अन्य देशों की शिक्षा नीति का अध्ययन कर उसकी समीक्षा की । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शिक्षा को लेकर जो - जो समितियां और नीतियां बनी, उनके रिपोर्टस को देखा और इसके आधार पर 25 प्रमुख बिंदु (थीम) निकाले और हरेक बिंदु पर एक शोध पत्र (रिसर्च पेपर) तैयार कर एक एक विषय पर काम किया । इस मसौदे को 70 से 80 बार परिशोधित (Revise) कर अंतिम में जो ड्राफ्ट (मसौदा) बनी उसे हमने सरकार को सौंपा है । हमारे देश में जो औपनिवेशिक शासन (Colonial Rule) व्यवस्था वाली शिक्षा नीति चल रही थी इस नये शिक्षा नीति में इसको बदलने की दिशा में प्रयास हुआ है । शिक्षा नीति के लक्ष्यों का विवरण (Vision Statements) में हमने बताया कि यह भारत केन्द्रित शिक्षा नीति है। कुल मिलाकर कहें तो सभी विषयों के बारे में हमने 360 डिग्री एप्रोच लिया है । सभी छात्र एक ही तरह के नहीं सोचते हैं उनमें कई विविधता है, अनेक रूचियां है इसलिए इस मसौदे को तैयार करने के समय छात्रों को ज्यादा विकल्प देने का ध्यान में रखा गया ।

आपने मसौदे में 5 + 3 + 3 + 4 फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया है । 5 + 3 + 3 + 4 फॉर्मूला क्या है ? विस्तार से बताये ।

विद्यालयीन शिक्षा (School Education) को लेकर अभी जो व्यवस्था है, वह बारह वर्षीय है यानी छः वर्ष से प्रारंभ होता है और अठारह वर्ष तक खत्म होता है। तीन से छः वर्ष आयु के दौरान बच्चे दिमाग 80 से 85 प्रतिशत विकसित होता है, या यूं कहें कि इस अवस्था में दिमाग का विकास सबसे ज्यादा होता है । चूंकि पहले छः वर्ष से शिक्षा आरंभ हो रहा था इसलिए हमने

इस नीति (Policy) में सोचा कि शिक्षा का ये काम तीन साल से ही शुरू हो जाय। मौजूदा 10 +2 मॉडल की जगह हमने 5 + 3 + 3 + 4 का वैज्ञानिक ढ़ांचा लाने की सिफारिश की है जो बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक - भावनात्मक विकास की अवस्थाओं पर आधारित है। तीन साल से अठारह साल (15 साल तक) के विद्यालयीन शिक्षा को चार भागों में बांटा है। पहला चरण 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, इसे बुनियादी चरण (Foundation Stage) कहते हैं। इस अवस्था में खेलकूद, संगीत, विभिन्न रंग और आकृतियों के माध्यम से उसके दिमाग को विकसित करना है। इस दौरान बच्चे को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं देकर प्राकृतिक रूप से उसके दिमाग को विकसित होने देना है। दूसरा चरण कक्षा 3 से 5 (उम्र 8 -11) को तैयार चरण (Preparatory Stage) होगा। इस चरण में बुनियादी शिक्षा को बरकरार रखते हुए शिक्षा (Preparatory Education) के लिए औपचारिक रूप से तैयार करना चाहिए। तीसरा चरण तीन वर्ष (उम्र 11 - 14 वर्ष) का कक्षा छः से आठ तक (माध्यमिक) है जिसमें छात्रों को आधारभूत संकल्पना (Concept) से परिचित करवाना है। चौथा और अंतिम चरण चार साल कक्षा नौ, दस, ग्यारह और बारह तथा 14 से 18 वर्ष तक के लिए है, इसे उच्चतर माध्यमिक कहा गया है। इस चरण में छात्रों को पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा विषयों को विल्कप देना चाहिए। इस अवस्था में विशेषज्ञ बनाने के बजाय उसकी इच्छानुसार व्यवसायिक, तकनीक इत्यादि से संबंधित जॉब ओरियेंटेड पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

संस्कृत समेत भारतीय भाषाओं के विकास के बारे में आपका क्या कहना है ?

भारतीय भाषाओं के विकास के लिए हमने बहुत सारे बिंदु लिए है। आप अगर ड्राफ्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें एक पाठ (Chapter) ही पर्मोटिंग टू इंडियन लैंग्वेज पर है। स्कूल एजुकेशन के बारे में भी हमने बहुत सारे बातों को उठाये हैं। अभी तक जो त्रिभाषा फॉर्मूला था कक्षा 8 से शुरू होता था क्योंकि शिक्षा की शुरूआत ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से होता था लेकिन अब तीन साल से ही शिक्षा शुरू होगा। हमने यह भी कहा है कि भारतीय भाषाओं में ज्यादा सामग्री होना चाहिए। विश्व के उत्कृष्ट जो विचार या साहित्य है उसको भारतीय भाषाओं में होना चाहिए और इन सब के आधार पर प्रत्येक छात्र को बहुभाषी होना चाहिए।

नालंदा - तक्षशिला मॉडल क्या है ?

हमने इस ड्राफ्ट में मिशन नालंदा - तक्षशिला मॉडल का उल्लेख किया है। इस ड्राफ्ट के अंदर हमने कुछ गगनचुंबी लक्ष्य लिये हैं जैसे 2035 तक सकल दाखिला अनुपात 50 प्रतिशत (मौजूदा 25 प्रतिशत) करना, उच्च शिक्षा संस्थान को स्वायत्ता और देश के विभिन्न भागों में गुणवत्ता विश्वविद्यालय खोलना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक्षशिला और नालंदा के प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय का उदाहरण देती है, जिसमें देश - विदेश के हजारों छात्र - छात्राएं जीवंत वातावरण में अध्ययन कर रहे थे। ■

नई शिक्षा नीति का मसौदा: प्रमुख सिफारिशें

- इसके तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है.
- इस मसौदा नीति में लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन के चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रमों के हटाने के विकल्प के साथ-साथ एम. फिल. प्रोग्राम को रद्द करने का भी प्रस्ताव किया गया है.
- इस मसौदा नीति के अनुसार, पी.एच.डी. करने के लिये या तो मास्टर डिग्री या चार साल की स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया है.
- नए पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5+3+3+4 डिज़ाइन (आयु वर्ग 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष) तैयार किया गया है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम तक शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठन के भाग के रूप में समावेशन के लिये नीति तैयार की गई है.
- यह मसौदा नीति धारा 12 (1) (सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिये अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है.

महात्मा गांधी की सार्धशती पर विशेष आलेख श्रृंखला - 10

राजधर्म के पथ पर पंथनिरपेक्षता का पेंच

|डा. जयप्रकाश सिंह|

भारत में धर्म को सत्य और शक्ति का संकुल माना जाता रहा है। यह भी मान्यता है कि सभी तरह की सत्ताएं धर्माश्रित हैं, धर्माधीन हैं। ज्ञान सत्ता हो या अर्थसत्ता, राजसत्ता हो या समाज सत्ता, सभी धार्मिक परिधि में ही कार्यरत रहती हैं। सभी लघु-सत्ताएं धर्म की व्यापक सत्ता में समाहित रहती हैं, और उसी से नियंत्रित भी होती हैं। यदि इनमें से कोई भी सत्ता धर्मच्युत होती है या धर्म विरुद्ध आचरण करती है तो वह त्याज्य हो जाती है। इस दृष्टिकोण के कारण ही महाज्ञानी रावण वध के योग्य समझा जाता है और सत्ता से मदमत्त कंस अथवा दुर्योधन भी।

धर्म की वृहद और लघु-सत्ताएं निरंतर अंतःक्रियाशील रहती हैं और एकदूसरे को पोषित भी करती रहती हैं। संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर -धर्मो रक्षति रक्षितः का मार्गदर्शक सिद्धांत समाज के सामने रखा गया। व्यक्ति का उचित और सजग कर्म एक सकारात्मक और संकल्पवान समाज गढ़ता है और ऐसे समाज में व्यक्तियों का योगक्षेम स्वतः ही हो जाता है।

धर्म पर किसी का एकाधिकार नहीं है। उसका अंश अलग-अलग रुपों और भूमिकाओं में सभी में व्याप्त है। इसी कारण भारत में सत्ताओं की समानांतर रेखाएं नहीं रही हैं। धर्म चक्र ने अलग-अलग लोगों को अलग-अलग भूमिकाएं प्रदान कीं और इसके साथ ही कुछ निश्चित सत्ताएं और सीमाएं भी मिलीं। ये सभी मिलकर एक सम्पूर्ण धर्मसत्ता की रचना करती हैं।

यह यूरोपीय दृष्टि के ठीक उलट है। वहां राज्यसत्ता और पुरोहित सत्ता आपस में टकराती रहीं। पुरोहित सत्ता (चर्च) लौकिक सत्ता को भी अपने अधीन बताने-जताने की कोशिश करती रही और राजसत्ता उसे स्वर्ग सम्बंधी मामलों तक ही सीमित रखने की दलील देती रही।

पापमोचक पत्रों (पेपर ऑफ इंडलजेन्सेज) जैसी संकल्पनाएं इसी दौर में आईं। इसके जरिए चर्च ने यह जताने की कोशिश की कि राजा सहित सभी व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए उसकी कृपा पर निर्भर हैं। संघर्ष लम्बे अरसे तक चला और बाद में पंथनिरपेक्षता के रूप में दोनों के लिए एक सीमा-रेखा खींच दी गई। राजनीति और पंथ का घालमेल न करने का मूल्य और तर्क भी इसी घटनाक्रम से उपजा।

महात्मा गांधी राजनीति की भूमिका, महत्व और स्थान के बारे में भारतीय परम्परा के अनुसार ही समझ रखते थे। वह धर्मविहीन राजनीति को एक शव मानते थे, जो कोई भी जीवंत और सृजनात्मक कार्य में असमर्थ होती है। राजनीति में धर्म का निवेश उनके लिए सबसे अधिक सृजनात्मक कार्य था। उनकी यह स्पष्ट मान्यता था कि राजनीति सर्व-सामान्य के जीवन से सीधे जुड़ी होती है और सबसे अधिक प्रभावित भी करती है। इसलिए उन्होंने पंथनिरपेक्षता के उस यूरोपीय तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, जो राजनीति और धर्म के बीच मजबूत विभाजक रेखा खींचता है।

वह अपनी आत्मकथा की भूमिका में कहते हैं, सच के प्रति उनका अनुराग उन्हें राजनीति में खींच लाया है। और उनकी राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें जो शक्ति उपलब्ध हुई है, वह आध्यात्मिकता से निकली हुई है। मैं बिना रत्ती भर संकोच किए और पूरी विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि जो यह कहते हैं कि राजनीति का पंथ से कुछ भी लेना-देना नहीं है, उन्हें पंथ का मतलब ही पता नहीं है।

वह इस बात को बार-बार दुहराते रहे कि राजनीति को जीवन की अनन्यतम गहराई से अलग नहीं किया जा सकता। मैं तब तक एक धार्मिक जीवन नहीं जी सकता, जब तक पूरी मानवता के साथ स्वयं का तादात्म्य न स्थापित कर लूं और मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक राजनीति में मेरी सहभागिता न हो। पूरी मानवता की गतिविधियां अब अविभाजित सम्पूर्णता में निहित है। मैं गतिविधियों से परे किसी धर्म को नहीं जानता।

इस संदर्भ में गांधी की सबसे बड़ी मान्यता यह थी कि राजनीतिक शक्ति आंतरिक शुचिता और संकल्प की शुद्धता पर निर्भर करती है। षड्यंत्रों और दांव-पेचों का पर्याय माने-जाने वाली राजनीति को आंतरिक शुचिता

से जोड़ने का कार्य गांधी ने केवल सैद्धांतिक स्तर पर नहीं किया बल्कि उन्होंने इस सूत्र को अपने जीवन में भी धारण किया। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि राजनीति एक ऐसा दैनंदिन कर्म है, जिसको न्यायपूर्ण और उचित ढंग से नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। जिस अनुपात में आंतरिक शुद्धता बढ़ती है, उसी अनुपात में हमारी लोगों पर हमारा प्रभाव भी बढ़ता जाता है। और इसके लिए अपनी तरफ से किसी अन्य प्रयास की जरूरत नहीं होती।

भारतीय राजनीति के जिस कालखण्ड को हम गांधी-युग कहते हैं वह नैतिक बल से राजनीति को संचालित करने के प्रयासों का दौर है। इस प्रयास में कितनी सफलता सफलता-असफलता मिली, इस पर मतभेद हो सकता है। लेकिन यह एक अकाट्य सत्य है कि इस कालावधि में राजनीति पर नैतिक मूल्यों की छाप और प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

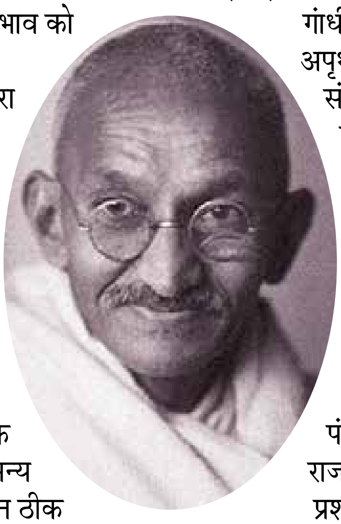

यदि राजनीति की भारतीय परम्परा और धर्म के साथ उसके अंतर्सम्बंधों को खंगालने का प्रयास करें तो गांधी त्यागपूर्ण-नैतिक राजनीति के आग्रह को आसानी से समझा जा सकता है। गांधी के चिंतन पर महाभारत के शांतिपर्व के प्रभाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। भीष्म शांतिपर्व में राजधर्म को जिस तरह से परिभाषित करते हैं उसका सार-संक्षेप यही है कि राजधर्म एक ऐसी पवित्र धुरी है, जिस पर धर्म की अन्य धुरियां आश्रित हैं। यदि राजधर्म का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं होता तो अन्य धर्मों का सम्यक निर्वहन करना असम्भव हो जाता है। भीष्म का दूसरा आग्रह यह है कि राज्यकर्म का संचालन सजग और अलिप्त भाव से ही करना चाहिए। राजसत्ता का संचाल भोगभाग से योगभाव से होना चाहिए।

एम.आर.जयकर तो पश्चिमी लोगों को सम्बोधित करते हुए यह स्पष्ट कहते भी हैं कि गांधी की राजनीति पर नेतृत्व की पुरानी भारतीय परम्परा की स्पष्ट छाप दिखती है। यह यूरोप की समझ से पूरी तरह भिन्न है। हम भारतीय आसानी से इसे समझ सकते हैं।

यंग इडिया में वह अपनी राजनीतिक सक्रियता और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के कारणों की तरफ खुले मन से और स्पष्ट रूप संकेत करते हैं। उनकी मान्यता है कि मुक्ति की साधना एकांत में नहीं हो सकती। लोगों के बीच रहकर और लोगों के लिए काम करने पर ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।

गांधी कहते हैं कि मैं इसी शरीर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए अधीर हूं। मेरी राष्ट्रसेवा, मेरी आत्मा पर पड़े बंधनों को तोडने की दिशा में किया गया प्रयास ही है। इस तरह मेरी राष्ट्रसेवा को विशुद्ध रूप से स्वार्थ भी माना जा सकता है। मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। लेकिन गुफा में रहकर भी कोई हवाई किले बना सकता है, जबकि जनक की तरह राजमहल में रहने वालों को इस तरह हवाई किले बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।.......मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी गुफा में शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। ....मेरे लिए मुक्ति का मार्ग राष्ट्र की सेवा के लिए किए गए कठिन श्रम से ही निकलेगा।

गांधी की राजनीति और धर्म की अपृथक्करणीयता की मान्यता राजधर्म की संकल्पना से निकली है। राजधर्म, धर्म की वृहद संकल्पना का अंश भर है। ऐसे में गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में निषेधात्मक पंथनिरपेक्षता के लिए कोई स्पेस बचता नहीं। विशेषाधिकारवादी वर्तमान पंथनिरपेक्षता को तो एक तरह से गांधीवादी चिंतन के एकदम विपरीत ही माना जा सकता है। अधिक से अधिक सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाली पंथनिरपेक्षता को ही गांधी के धर्म-प्रेरित राजनीति में स्वीकार किया जा सकता है।

प्रश्न यह है कि क्या राजधर्म की परम्परा से निकले गांधी के चिंतन के लिए वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया में कोई स्पेस बचा है? राजधर्म और पंथनिरपेक्षता की प्रचलित अवधारणा विपरीत धुरियां हैं। दुर्भाग्य यह है कि राजधर्म को समझे बगैर ही कुछ शक्तियां राजधर्म के निर्वहन का उपदेश देती हैं, मानो राजधर्म विकृत पंथनिरपेक्षता का सुरक्षाकवच हो। वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया में राजधर्म की भावना का निवेश समय की आवश्यकता है। राजधर्म का निवेश, वृहत्तर धर्म को भी स्थापित करेगा और इसी के साथ सभ्यता-संस्कृति-राष्ट्र भी अपने गौरव के साथ पुनःप्रतिष्ठित होंगे। बड़ी बात यह है कि राजनीति में राजधर्म के निवेश की नजदीकी खिड़की गांधी ही हैं। ■

(लेखक हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं।)

जिग्नासा का राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में संपन्न

आयुर्वेद, देशी चिकित्सा एवं होम्योपैथ के क्षेत्र में काम करने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, प्रकल्प जिज्ञासा का दो दिवसीय कार्यशाला (27 - 28 जुलाई 2019) कोलकाता में संपन्न हुआ । कार्यशाला के प्रथम दिन यानी 27 जुलाई को आयुर्वेद से जुड़े छात्रों का सत्र हुआ वहीं दूसरे दिन 28 जुलाई को होम्योपैथ से जुड़े छात्रों का । आयुष अकादमिक सुधारों के बारे में हुए पैनल चर्चा में देश भर से आये प्रतिनिधियों का उत्साह चरम पर था । ज्यों - ज्यों सत्र आगे बढ़ रहा था उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी । सी.सी.आई.एम. अध्यक्ष वी जयंत द्योपुजारी, डॉ. के. एस. सेठी(सलाहकार होम्योपैथी, भारत सरकार) डॉ. अभिजीत चट्टोपध्याय (निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होमियोपैथी) और वरिष्ठ वैज्ञानिक वी.डी. विनोद कुमार आदि ने उत्सुक छात्रों के प्रश्नों को बारी - बारी से उत्तर दिया । वक्ताओं ने कहा कि आयुष क्षेत्र के दिग्गजों और नीति निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत के ऐसे अवसर छात्रों को बहुत कम मिलते हैं । यह परिचर्चा काफी सार्थक रही। हमें यहां पर अपने राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष के बढ़ते योगदान के लिए आयुष शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन के बारे में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं और इनपुट मिले ।

सम्मेलन में आये छात्रों को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् ने आयुर्वेद विद्यार्थी, होम्योपैथी के छात्रों के साथ जो काम शुरू किया है वह एक कमिटमेंट की तरह है । भारत की विकास यात्रा चिकित्सा पद्धति के विकास के बिना पूरी नहीं हो सकती । दुनिया के जो विकसित देश हैं, जिनके पास सब कुछ है वे भी भारतीय परंपरा की ओर आकर्षित हो रहे हैं । वे योग कर रहे हैं, योग उनके लिए आविष्कार जैसा है जबकि भारत में योग आदिकाल से है । उन्होंने कहा कि हम तब तक स्वाधीन नहीं हो सकते जब तक हमारी शिक्षा स्वाधीन नहीं हो जाय। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आयर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में काफी विकास होगा । एक सवाल के जवाब में श्री आंबेकर ने कहा कि देश भक्ति के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जहां जिस क्षेत्र में है वह अपने दायित्व व कार्यों को ईमानदारीपूर्वक जुनून के साथ करें । काम कुछ भी करें लेकिन उसके मूल में भारतीयता हो । विदेशी दासता से मुक्त होना, हरेक क्षेत्र में देश को आगे ले जाने प्रत्येक स्तर पर प्रयास होना चाहिए।

जिग्नासा के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन डॉ. के. एस सेट्ठी (सलाहकार, होमियोपैथी भारत सरकार) मुख्य अतिथि वी.डी जयंत देवपुजारी (अध्यक्ष, सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होमियोपैथी कोलकाता) ने संयुक्त रूप से किया । मौके पर डॉ. अभिजित चट्टोपाध्याय (निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान), वी.डी. विनोद कुमार टीजी (वरिष्ठ वैज्ञानिक, त्रिवेंद्रम ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन) श्री विनीत मोहन, (राष्ट्रीय संयोजक, जिग्नासा), वी.डी. नूपुर विश्वास, (संयोजक, जिग्नासा पश्चिम बंगाल) आदि उपस्थित थे। जिग्नासा के राष्ट्रीय संयोजक विनीत कुमार के मुताबिक सम्मेलन में 500 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों लगभग 50 शिक्षकों और शिक्षाविदों ने भाग लिया । उन्होंने कहा कि यह सम्मलेन निश्चित रूप से भारतवर्ष में पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के प्रमाणिक अध्ययन और समझ के लिए छात्रों को प्रेरित करेगा । ■

संस्कृत की चुनौतियां और भावी सम्भावनायें

| यशवन्त कुमार त्रिवेदी |

आज के आधुनिक समय में उच्च स्तर के परिवाले वाले बच्चों के पैदा होते इन्जिनीयर और डॉक्टर बनाने का सपना ले लेते है, जो कि मध्यम वर्ग से आते है वह सब कला के क्षेत्र में जाते है, कला के क्षेत्र में भी वह हिन्दी मनोविज्ञान और फाईन आर्टस आदि के तरफ रूझान करते है, उसके बाद के छात्रों के मन में संस्कृत लेने को सोच पैदा होती है। आज के समय एक तरह से एक भावना बन गई है कि संस्कृत केवल कर्मकाण्ड की भाषा है। समाज में संस्कृत शब्द का नाम सुनते ही समाज के अस्सी प्रतिशत लोगों को यह लगता है अथवा समझ में आता है कि यह केवल पूजा पाठ कराने वाली किसी विद्या की बात करते है अथवा अधिक से अधिक जन्मकुण्डली आदि बनाने में समर्थ है, इस सच से नकारना वैसे है जैसे शुतुरमुर्ग आंखों को बन्द करके समस्या का समाप्त हो गया ऐसा सोचता है। इस प्रकार की समस्या और मानसिकता कारण कहीं न कहीं संस्कृत पढने लिखने वाले भी है जिन्होंने अपने आप को समाज के सामने इसकी उपयोगिता बता पाने में अब तक अक्षम रहे। किन्तु इसका आरोप केवल संस्कृत वालों के उपर थोप देना उनके साथ नाइंसाफी है क्योंकि शासन के द्वारा भी इसको समाप्त अथवा कमजोर करने का प्रयास किया गया।

शासन के स्तर पर संस्कृत को कमजोर करना

शासन के स्तर पर संस्कृत को कमजोर होने के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है जैसे सबसे पहले १२वीं सदीं के बाद से संस्कृत को कमजोर या समाप्त करने का कार्य प्रारम्भ किया गया, बारहवीं सदीं से पूर्व में भारत की अदालती, मन्त्रिपरिषद आदि समस्त विद्याओं का संस्कृत भाषा में होने के कारण राज्यव्यवस्था के सम्पादन के लिये संस्कृत में निहित अर्थशास्त्र आदि का ज्ञान आवश्यक था, उस समय के विदेशी आक्रान्ताओं से पहली बार संस्कृत के खात्मे का प्रयास किया जाने लगा क्योंकि संस्कृत में ही भारतीय सभ्यता और हिन्दु धर्म की नींव छुपी हुई थी। अतः जब तक इस संस्कृत को कमजोर नही किया जा सकता तब तक भारतीय संस्कृति को कमजोर नही कर सकते है, जिससे इस्लामीकरण करने में समस्यायें उत्पन्न हो रही थी। अतः आक्रमणकारीयों ने संस्कृत का नही केवल प्रोत्साहन रोका बल्कि इसको समाप्त करने का भरपूर उपाय किया और बारहवीं सदीं के बाद शासन स्तर से संस्कृत भाषा के स्थान पर फारसी का प्रयोग किया जाने लगा, यह क्रम १२वीं सदी. से प्रारम्भ होकर ब्रिटिशर्स के आने तक चलती रही।

ब्रिटिशर्स काल में संस्कृत

अठारहवीं सदीं के आसपास अंग्रेजी शासन के द्वारा भी इसके समाप्त करने का दुश्चक्र किया जाने लगा क्योंकि गुरूकुल से पढ लिख कर लोग अपने अधिकारों और आजादी की मांग करने लगे थे, जैसे तत्कालीन समय के छत्तीसगढ के संत परम्परा में जन्मे गुरू घासीदास का अध्ययन रायगढ जिले के बिलासपुर में हुआ, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और जनता को जागरुक करने का प्रयास किया और चन्द्रशेखर आजाद आदि उल्लेखनीय नाम है इन सबकी पढाई संस्कृत में ही हुई थी, इनके माता का सपना इनको संस्कृत का अध्यापक बनते हुये देखाना था। इसी प्रकार आर्यसमाज के गुरुकुलों में पढे और लिखें छात्रों और अध्यापकों ने जनजागरण किया और अंग्रेजों के खिलाफ लडाई लडी, इसलिये अंग्रेजों को ऐसे गुरूकुलों को समाप्त करने का प्रयास किया और ऐसे अध्ययन अध्यापन के संस्थान खोलने की जरूरत महसूस होने लगी जो इनके काम को आसान कर सके, उदाहरण के तौर पर जब कोलकता राजधानी हुआ करती थी तब उन्होंने वहां प्रेसिडेंसी कॉलेज खोला जिसमें पढे हुये उस समय के भारतीय छात्र मानसिक रूप से ब्रिटिशर्स के गुलाम थे,

पुरे दिन भारतीय सभ्यता को कोसना और ब्रिटिशर्स के भारत में होने के फायदे को बताना ही उनका काम रह गया था, इसलिये ब्रिटिशर्स समर्थक विश्वविद्यालयों की स्थापना और ब्रिटिशर्स विरोधी मानसिकता वाले गुरूकुल को समाप्त किया जाने लगा।

इन दोनों ही परिस्थितियों में संस्कृत का ह्रास अवश्य हुआ किन्तु खत्म नही किया जा सका क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह था कि प्राचीन काल से ही प्रायशः गुरुकुल शासन के द्वारा संचालित नही होकर यह स्वयं समर्थ थे। आश्रम की आजीविका खेती, पशुपालन एवं समाज से भिक्षाटन पर निर्भर होने से शासन स्तर पर व्यवस्था में बदलाव होने पर भी गुरुकुल को आर्थिक रूप से प्रभावित नही कर पाती थी, जब तक ये गुरुकुल को नष्ट करने की भावना उत्पन्न न करे। यह स्थिति आजादी के पूर्व तक की है।

आजादी के बाद की तस्वीर

संस्कृत की तृतीय स्थिति आजादी के बाद की प्राप्त होती है, आजादी के बाद भी संस्कृत के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा, आजादी के समय अंग्रेजों की थोपी गई नीति भाषा नीति भी थी, उनको पता था कि यह भारत देश अपनी समृद्ध भाषा के बल पर प्रगति कर सकता है, इस को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कुछ तत्कालीन शिखरस्थ अंग्रेजी प्रिय भारतीयों के साथ मिलकर भारतीय शिक्षा पद्धति में संस्कृत को स्थान न देने जैसे राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही शर्तें भी शामिल किया। अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण करने के बाद जो शिक्षा नीति भारत को गुलाम बनाये रखने के लिए बनायी थी, वही नीति स्वदतंत्रता के बाद भी जारी रखी गई, इसके परिणाम स्वरूप में आज हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती, शिक्षित होने के बाद भी नैतिकता की गिरावट देखी जा सकती है और पढे-लिखे शिक्षा प्राप्त, लोगों में इन सभी स्थितियों के बारे में उदासीनता पायी जाती है। उनमें न भारतीय संस्कृति के प्रति आदर है और न ही उन्हें इसकी परवाह है, यह केवल अपने आप तक ही सीमित है। शायद ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य को स्वार्थी बना देती है।

हम सबने ग्लोबिलाइलेशन को अपनाया किन्तु 'वसुधैव कुटुंबकम्' को भूल गये हैं। आज हमारे बच्चे को चरक संहिता के लेखक सुश्रुत का पता नहीं है। बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्यभट्ट के बारे में एक भी पाठ नहीं हैं। इन सब समस्याओं का कारण आजादी के बाद के शासन में स्थित शिखरस्थ लोगों की संस्कृत और भारतीय मानसिकता के प्रति उदासीनता ही बताती है।

आज के समय में विज्ञान की जितनी तरक्की होनी थी हो चुकी है अब इस से ज्यादा सम्भव नही है, अब इसका परिणाम विनाश के रुप में दिखाई दे रही है पुरे विश्व के प्रमुख शहरों में पीने का पानी और साफ हवा आदि दुर्लभ होते जा रहे है, इन सब समस्याओं का निदान विज्ञान से सम्भव नही है, यदि इसके लिये पुनः किसी प्रकार का तकनीकि का इस्तेमाल करते है तब पुनः दूसरी समस्या का होना निश्चित है। इन सबका निदान के लिए हमें अपने पूर्वजों के तरफ देखना होग और उसका एकमात्र माध्यम संस्कृत है।

संस्कृत में भविष्य कि सम्भावनायें

यदि हम संस्कृत शब्द का विचार करे तब संस्कृत भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में प्राप्त बहुत सारे विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है जैसे इसमें ईसा पूर्ववर्ति समाज का चरित्र चित्रण की प्राप्ति भास आदि कवियों के द्वारा विरचित अनेक नाटकों के माध्यम से मिलता है, केवल इतना ही लगभग चार हजार से अधिक वर्ष पूर्व के भारत के राजा राम की वंशावली और तत्कालीन विषय वस्तु के ज्ञान का मुख्य स्रोत इसी भाषा में निहित है। भारत में अभी तक प्राप्त धर्मग्रन्थ जो कि उस समय के संविधान के समान थे अथवा संविधान ही थे, वे सब समय के अनुसार बदलते गये वे १५० से अधिक (शुक्रनीतिसार, याज्ञवल्क्यस्मृति और मनुस्मृति आदि) की संख्या में इसी भाषा में आज भी उपलब्ध होते है। तृतीय ईसापूर्व कौटिल्य ने एक बृहत् और व्यवस्थित ढंग से अर्थशास्त्र की रचना किये, इस ग्रन्थ में राजा के धर्म, मन्त्रिपरिषद, कर व्यवस्था, गुप्तचर आदि अन्य बहुत सारी गूढ बातें बताई जो कि आज भी प्रासंगिक है । ईसा के बाद पहली और तीसरी सदीं के मध्य में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक अत्यन्त प्रसिद्ध और कालजयी रचना किये, जिसके अध्ययन के बिना नाटक रंगमंच और सिनेमा का अध्ययन पूर्ण नही हो सकता है। गणित से सम्बन्धित अनेक पुस्तकें प्राप्त होती है जिनमें वैदिक गणित के नाम से अनेक आसान रास्तें (ट्रिक) बताये गये है जो कि अत्यन्त छोटे छोटे होते है जिनको याद करके कठिन से कठिन सवालों का भी हल आसानी से किया जा

सकता है। आयुर्वेद विषय का वर्णन संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध किया गया है, योग का वर्णन भी इसी भाषा में प्राप्त होता है, योग को आधार बना कर अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐतिहासिक और सर्वाधिक देशों के द्वारा हुआ।

प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों पर आज उचित तरीके से शोध की आवश्यकता है, चौबीस विष्णु के अवतारों का क्रम मनुष्य् विकास की अवस्थातओं की तरफ संकेत देता है। मच्छस अवतार के द्वारा जल से जीवन के प्रारंभ होने के वैज्ञानिक तथ्यफ की तरफ इशारा है, कच्छस अवतार उभयचर जीव जो पूर्णतः जलचर से विकास होकर उभयचर बनने की तरफ संकेत है, वराह अवतार पूर्णतः जमीन पर जीने वाले जीवों के विकास की कहानी है, नृसिंह प्राणि सदृश मनुष्यण के विकास का ही एक चरण है, वामन रूप छोटे बच्चेस के रूप में विकास का ही एक रूप है, परशुराम आक्रामकता और युद्धों को दिखाता है जबकि उसके बाद का पुरूषोत्तम राम का रूप पूर्ण मानव का प्रतीक है आदि आदि इन सबकी अनुचित व्याख्या पाश्चाकत्यण विद्वानों के भारतीय साहित्यन के गहन तथा आलंकारिक अर्थों का समझ नही होने के कारण है।

संस्कृत भाषा में ही भारतीय दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितीय, काव्य, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गये है। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनी के जैसा पूरे विश्वभर में कोई दूसरा नहीं है। खगोलशास्त्र और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर ने मानव जगत को नवीन मार्ग दिखाया, औषधी के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया, दर्शन के क्षेत्र में गौतम (न्याय व्यवस्था के जन्मदाता) शंकराचार्य (अद्वैत भावना के जन्मदाता) बृहस्पति (लोकायत के जन्मदाता) आदि ने पूरे विश्वभर में विस्तृत दार्शनिक व्यवस्था को प्रतिपादित किया है, इन सबके अतिरिक्त अर्थशास्त्र जैसे ग्रन्थ जिसमें शासन की सत्ता सम्भालने की समस्त व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया गया, इस ग्रन्थ का निर्माण २३०० वर्ष पूर्व कौटिल्य ने किया था, इस प्रकार से हमारी ज्ञानसम्पदा बहुत ही समृद्ध रही है। अभी भी अस्सी लाख के आसपास पाण्डुलिपि जिन के उपर काम होना बाकी है वे सब अप्रकाशित अवस्था में विद्यमान है।

भाषाविज्ञान के क्षेत्र में संस्कृत का योगदान

आधुनिक भाषावैज्ञानिकों के अनुसार भारत यूरोपीय भाषाभाषियों की जो नाना प्राचीन भाषाएँ, वैदिक संस्कृत, अवस्ता अर्थात् प्राचीनतम पारसी ग्रीक, प्राचीन गॉथिक तथा प्राचीनतम जर्मन, लैटिन, प्राचीनतम आइरिश तथा नाना वेल्ट बोलियाँ, प्राचीनतम स्लाव एवं बाल्टिक भाषाएँ, अरमीनियन, हित्ती, बुखारी आदि) थी, वे वस्तुतः एक मूलभाषा की जिसे मूल आर्यभाषा, आद्य आर्यभाषा, इंडोजर्मनिक भाषा, आद्य-भारत-यूरोपीय भाषा, फादरलैंग्वेज आदि) देशकालानुसारी विभिन्न शाखाएँ थी। उन सबकी उद्गमभाषा या मूलभाषा का आद्य आर्यभाषा कहते हैं।

आधुनिक भाषावैज्ञानिकों के अनुसार भारत यूरोपीय भाषाभाषियों की जो नाना प्राचीन भाषाएँ, वैदिक संस्कृत, अवस्ता अर्थात् प्राचीनतम पारसी ग्रीक, प्राचीन गॉथिक तथा प्राचीनतम जर्मन, लैटिन, प्राचीनतम आइरिश तथा नाना वेल्ट बोलियाँ, प्राचीनतम स्लाव एवं बाल्टिक भाषाएँ, अरमीनियन, हित्ती, बुखारी आदि) थी, वे वस्तुतः एक मूलभाषा की जिसे मूल आर्यभाषा, आद्य आर्यभाषा, इंडोजर्मनिक भाषा, आद्य-भारत-यूरोपीय भाषा, फादरलैंग्वेज आदि) देशकालानुसारी विभिन्न शाखाएँ थी।

यदि कोइ कहता है कि संस्कृत कठिन भाषा इसलिये यह पिछड गई तो इसका जवाब है कि सबसे कठिन भाषा वुल्गारिन (चाईनीज) है लेकिन आज वह विकसित अवस्था में है और चीन के टेक्नोलाजी की भाषा भी यही है अंग्रेजी नही है, क्योंकि इसका कारण शासन के स्तर पर इसका प्रोत्साहन है। यदि कोई यह आरोप लगाता है कि संस्कृत तो आजादी के समय बहुत ही कम लोग बोलते थे अतः इसको मुख्यधारा की भाषा की दर्जा कैसे दिया जा सकता है तो इसका उत्तर हमें इजराइल जैसे छोटे देश से मिलता है, इजराइल के बनने का समय भारत के आजादी के आसपास ही है, उस समय इजराइल कहता है में अरबी भाषा बोली जाती थी और हिब्रु का कोइ अस्तित्व ही नही था किन्तु वहां के शासकों ने एक दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रखकर हिब्रु के प्रचार प्रसार के लिये नीतियों का निर्माण किया जिससे अभी हाल के ही वर्षों में इजराइल की मुख्य भाषा हिब्रु हो गई है। कुछ ऐसा ही संस्कृत के लिये भी दूरगामी नीति को अपनाना पडेगा। ■

शोध छात्र, जे. एन. यू.

अभाविप की मांगो पर राज्यपाल ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

झारखंड के हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय (विभावि) में होने वाले दीक्षांत समारोह को स्थगित करने की घोषणा से छात्र समुदाय में गहरा आक्रोश है । पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के एक प्रतिनिधिमंडल ने अभाविप प्रदेश अध्यक्ष प्रो. नाथू गाड़ी के नेतृत्व में राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर विभावि हजारीबाग के विवादित कुलपति डॉ. रमेश शरण को नक्सली समर्थक बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की । प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर कुलाधिपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें 17 मांगे की गई है । परिषद् ने राज्यपाल से इसकी जांचकर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है । राज्यपाल ने अभाविप को उनकी मांगो पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया ।

प्रतिनिधिमंडल से कुलाधिपति ने कहा कि विभावि के आठवें दीक्षांत समारोह में भारी अव्यवस्था हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थी परिषद की मांगों पर समुचित कार्रवाई होगी और इसका परिणाम बहुत जल्द सामने आयेगा। उन्होंने ख़ासतौर पर कहा कि कहीं कोई ऐसा माहौल नहीं था कि दीक्षांत समारोह को बीच में समाप्त कर दिया जाए। इसकी भी जांच होगी।

अभाविप का आरोप, अर्बन नक्सलियों के समर्थक हैं कुलपति

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रांत संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश शरण पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुलपति अर्बन नक्सलियों के समर्थक हैं । उन्होंने कहा कि जब से डॉ. रमेश शरण कुलपति बने हैं, विभावि संगठित भ्रष्टाचार, शैक्षणिक अराजकता और नक्सल विचारों का धीरे-धीरे गढ़ बनता जा रहा है। पांच अगस्त को आठवें दीक्षांत समारोह में जिस प्रकार से वीभत्स एवं असंवैधानिक कृत्य हुए, उससे शिक्षाविद, छात्र समुदाय सहित समाज के सभी घटक काफ़ी दुखी हैं। कुलाधिपति के निर्देश पर दरकिनार कर काले रंग के कपड़े पहने छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी गईं। इसके अलावा कुलाधिपति ने वर्ष 2018 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान करने की अनुमति दी थी लेकिन दीक्षांत समारोह वर्ष 2015, 16 और 17 के छात्रों को भी बुलाया गया। इसके जिम्मेवार कौन हैं ? ■

क्या है मामला ?

पांच अगस्त 2019 को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और उसी दिन अनुच्छेद 370 एवं 35 ए को खत्म किया गया । इसकी खबर मिलते ही कुलपति ने समारोह को बीच में ही स्थगित कर दिया जिस कारण विश्वविद्यालय परिसर में अफरा - तफरी का माहौल बन गया । कुल 6633 विद्यार्थियों के स्थान पर मात्र 343 विद्यार्थियों को ही उपाधि बांटकर यह समारोह खत्म कर दिया गया । डिग्रियों में तिथि भी गलत दर्ज है। तारीख 17 अगस्त अंकित है, जो अभी आया ही नहीं है। इन सभी चीजों से अलग हटकर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छदे 370 और 35ए की समाप्ति पर सामाजिक सौहार्द्र का भय दिखाकर दीक्षांत समारोह को बीच में ही समाप्त कर दिया गया। इस कारण विद्यार्थियों को डिग्रियां नहीं मिल पायीं। इससे वे आक्रोशित हो गये और जमकर हंगामा किया। वहां अफरातफरी का माहौल हो गया। इसके बाद विभावि प्रशासन के इशारे पर छात्र-छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया। इससे छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया और वे आंदोलन पर उतारू हो गये। बदले में विभावि प्रशासन ने अभाविप के कार्यकर्ताओं पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। हांलाकि 13 अगस्त को विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थी परिषद के आगे झुक गया और कुलसचिव ने थाने में आवेदन देकर दर्ज कराई गयी प्राथमिकी को वापस ले ली।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के लिए रांची से दीपेश कुमार की रिपोर्ट

India and SCO: Shared Past-Common Future

| Dr.Abhishek Srivastava |

In the Western dominated world order, Eurasian bloc is trying to re-establish 'balance of power' in 21st century through the expansion of regional organizations like Shanghai Cooperation Organization (SCO). In this month on 13-14, SCO annual meeting is going to be held in Tashkent, Uzbekistan. This was very important meeting for the Indian government because this subcontinent has faced severe terrorist incidents in recent past.

Nearly two Decade ago, SCO was initiated with five countries Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, named 'Shanghai-5'. In 2001, when Uzbekistan joined this group, it becomes Shanghai Cooperation Organization. The primary objective behind the establishment of Shanghai Five was to 'peacefully resolve the boundary dispute, which existed among China and the five countries and; to ensure stability along the borders'. After the peaceful resolution of the boundary disputes, in 2001, the member countries adopted the 'Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism'.

India has been an observer at the SCO since 2005 and has generally participated in the ministerial-level meetings of the grouping which focus mainly on security and economic cooperation in the Eurasian region. In 2015-2016, inclusion of India and Pakistan is gradually changing the geo-political and geo-economic equation of this organization as well as the region too. This significant change would ensure regional and global stability and prosperity.

India and Central Asian countries have very long and historical relations. We have shared culture, tradition and religion. Our values and thoughts are very much similar. India's soft power is playing very bigger role. But in modern times due to geographical compulsion, India and Central Asian countries are not so much connected. This year India is going be a permanent member of SCO, which are coming with numerous hopes and desire.

Rapidly growing India is one of the largest energy consuming countries in the world. Central Asian countries have abundant natural and energy resources. So, it is expected to get greater access to major gas and oil exploration projects in Central Asia once it becomes a member of the SCO. Membership in SCO has opened new opportunities for India to reconnect with Eurasian members after a century of disruption.

This platform shares security concerns with the region, especially related to combating terrorism and containing threats posed by ISIS and the Taliban. Regional security against terrorism, extremism and separatism is high priority agenda for the SCO. India feels as SCO member, it will be able to play a major role in addressing the threat of terrorism in the region.

In 'Bishkek Declaration' 2019 SCO members focuses on terror, the declaration largely followed language from the 2018 "Qingdao Summit declaration", reiterating SCO's condemnation of terrorism 'in all its forms and manifestations.' the members noted the need for increased cooperation among SCO member states in trade and services. A document regarding cooperation among members on Digitalization and Information and Communications Technology was signed at the end of heads of state meeting.

In his address, Prime Minister Narendra Modi to the SCO leaders presented his vision for the organization in the form of HEALTH (H- Healthcare cooperation, E-Economic cooperation, A-Alternate energy, L-Literature

and culture, T-Terrorism-free society and H-Humanitarian cooperation). Elaborating on these pointers, Modi called upon member states to ensure that nations which support, promote or finance terror must be held accountable – referring to Pakistan without explicitly naming it. Modi also stressed using the potential of RATS to counter terrorism. India is also keen on deepening its security-related cooperation with the SCO and it's Regional Anti-Terrorism Structure (RATS) which specifically deals with issues relating to security and defence.

In the area of economic cooperation, PM Modi criticized protectionist tendencies in trade amidst the US ending GSP status for Indian products with New Delhi getting ready to respond and the ongoing US-China trade war. In fact, Modi's HEALTH vision was closely tied to the Bishkek Declaration, which also noted ongoing and future cooperation in healthcare, trade, counter-terrorism and response to natural disasters; besides its traditional focus on security issues and terrorism. PM Modi emphasised on the healthcare work plan. He said "India would be happy to share its experience in tele-medicine and health tourism," he also said. "Economic cooperation is the basis of our people's future. Unilateralism and protectionism has not benefited anyone. We need an open and all-inclusive trade policy at the WTO so that the interests of every country specially the developing ones would be taken care of."

In this summit PM Modi also said that "India is committed to make a favourable environment for the economic cooperation between the SCO member countries, he said "India is committed to tackle the danger of climate change. Today, India is the sixth largest producer of renewable and fifth largest producer of solar power," in his speech he informed the all member states about the Indi's initiative of International Solar Alliance (ISA), this is India's joint initiative whose objective is to mobilise funds for reducing the cost of energy, he said. "We welcome the SCO member states in the initiative. India is also ready to share its experience in generating the additional sources of energy."

In SCO we have shared past and common future, SCO region and history, civilization and culture of India are interconnected for thousands of years, PM Modi said "Our shared area is in great need of better connectivity in the modern era." He also said "Introduction of each other's literature to our youths will strengthen our relations. He added in his speech ten top composition of India's literature will be translated in the language of SCO member countries."

In the Qingdao Summit 2018, the focus area was strengthening regional connectivity and it was evident that all other member countries have endorsed China's One Belt, One Road (OBOR), a key policy to connect trading partners along the ancient Silk Road. However, India has not yet given its consent to be a part of OBOR. One of India's major concerns has been the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), which passes through the Pakistan occupied Kashmir (PoK) The proposed corridor will link Kashgar in Xinjiang, China, to the Gwadar port. Being in the SCO, India would not be able to stay out of China's proposed connectivity and infrastructural projects. India needs to devise a plan which neither hampers the functioning of the grouping nor snub its apprehensions vis-a-vis OBOR and the CPEC. While PM Modi noted the examples of International North South Transport Corridor, Chabahar Port, Ashgabat Agreement and the air freight corridor between Kabul, Kandahar and New Delhi as proof of India's focus on connectivity, India refused to join the clause in the declaration in support of the Belt and Road Initiative. The prime minister noted the principles of respect for sovereignty, regional integrity, good governance, transparency to be essential for connectivity, obliquely referring to New Delhi's reservations on CPEC in particular and BRI in general.

Above all concern, this is really a great opportunity for New Delhi to re-engage with the "Eastern World" at a time when it enjoying best friendship weather with the "Western World". This is the continuation of "connect Central Asia Policy" and initial phase of "Look North Policy" of "Modi's Diplomacy", when he is balancing both bloc at the same time. India is going to join SCO with lots of good hope. ■

Author is Assistant Professor, University of Delhi

लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी होना जरूरी: आनंद कुमार

लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी होना ही सफलता का सबसे बडा मंत्र है। लक्ष्य के प्रति हमारा सम्पर्ण ही हमारी सफलता को तय करता है। इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसलों से बडा नहीं है। यदि वह सही दिशा में समर्पित होकर अपना कार्य करें तो वह एक दिन बडी छलांग लगा सकता है। ये बातें पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ में अभाविप की विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित स्वयंसिद्धा कार्यक्रम में बोलते हुए सुपर 30 के संस्थानक आनंद कुमार ने कही। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र समूह को संबोधित करते हुए आंनद कुमार ने कहा कि उनके जीवन के संघर्ष को जिस प्रकार से सुपर 30 फिल्म में दिखाया गया, वह उनके जीवन के संघर्ष को छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने जब यह तय किया कि जरूरतमंद गरीब बच्चों को आईआईटी जैसे बडे सस्थानों में पढ़ने का मौका मिलें तो उसके लिए उनमें जुनून जगाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा था लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। अनेको बाधाएं आई लेकिन उन्होंने न केवल अपने आप को पूरी तरह से लक्ष्य के प्रति समर्पित किया बल्कि उन 30 बच्चों में भी उनके लक्ष्य के प्रति इतना जुनून भरा कि उन्हें सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते बस अपना लक्ष्य ही दिखता था।

आनंद कुमार ने कहा कि उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया आज उसे पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि समाज में हमारे आस पास बहुत से ऐसे जरूरतमंद बच्चे है जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहते है लेकिन सही मार्गदर्शन व धन के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं । ऐसी स्थिति में हम जैसे युवाओं को आगे आकर उन बच्चों के सपने साकार करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अभाविप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसा निरंतर कर भी रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री हेमा ठाकुर ने कहा कि अभाविप अपने अनेकों आयामों को माध्यम से युवाओं

की प्रतिभाओं को निखारने को काम कर रही है। वहीं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने को कार्य भी निरंतर कर रही है। इस दौरान आंनद कुमार ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्र में अभाविप उतर क्षेत्र के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल, पंजाब प्रांत संगठन मंत्री राहुल शर्मा, इकाई अध्यक्ष कुलदीप पंघाल, मंत्री परविंद्र कटोरा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए चंडीगढ़ से संदीप आजाद की रिपोर्ट

यह जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा.....

| चन्दन आनन्द |

भारत को सोने की चिड़िया अनायास ही नहीं कहा जाता था। धर्म, ज्ञान, संस्कृति, शौर्य, सभयता, कला, तकनीक, अर्थ, आदि हर क्षेत्र में यह देश पुरातन काल से विश्व के आकर्षण का एक केन्द्र रहा है। भारत की इसी समृद्धि के कारण समय-समय पर आक्रांताओं द्वारा हमला कर इसके संसाधनों को लूटने अथवा इसकी संस्कृति और धर्म को नष्ट करने का प्रयास होता रहा। इन आक्रमणों और लूट का एक लंबा इतिहास है। इतने आक्रमणों और लूट के बावजूद भी इस देश की आत्मा- इसका धर्म और संस्कृति ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो इसका श्रेय इस धरती के शौर्य को जाता है। भले ही भारत ने कभी किसी दूसरे देश या संस्कृति पर हमला नहीं किया, लेकिन अपने उपर हुए प्रत्येक हमले का मुकाबला यहां के वीर-वीरांगनाओं ने डटकर किया। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की एकता और अखण्डता को बनाए रखने का कार्य इस देश के वीर-वीरांगनाओं ने किया।

देश के आक्रांतांओं पर अफगानिस्तान तक हमला करके, भारत को पुनः अपनी नैसर्गिक सीमाओं तक पहुंचाने का काम कश्मीर नरेश सम्राट ललितादित्य ने किया। ललितादित्य के प्रभामण्डल के कारण ही अरब अक्रांता 7 से 10 वीं शताब्दी तक भारत पर आक्रमण करने से कतराते रहे। उसके बाद मुगल आक्रमण के दौरान उत्तर भारत में भारत की दश गुरु परंपरा के गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और बाद में दशम गुरु गोंबिंद सिंह, उनके चार साहिबजादे, बंदा सिंह बहादुर और उनके द्वारा निर्मित खालसा सेना ने धर्म की स्थापना और देश की अखण्डता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। तो वहीं दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज, पश्चिम में महाराणा प्रताप और पूर्व में असम के अहोम सेनापति लचित बड़फूकन की सेना ने मुगलों को धूल चटाने का काम किया। इसी कड़ी में आगे बड़ते हुए सम्राट ललितादित्य के बाद पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने पुनः अफगानिस्तान तक हमला कर आक्रांताओं को भारत से खदेड़ा और भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया।

तब समय राजा-महाराजाओं का था, तो भारत के वीर युवाओं ने इन सेनाओं के रूप में देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखा। देखते ही देखते मुगल काल खत्म हुआ और देश पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। अंग्रेजों की भारी बरकम सेना और शासन के विरुद्ध भारत की एक सशस्त्र सेना नहीं बन पाई और अपने-अपने स्तर पे देश के युवाओं और क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी। मंगल पाण्डेय, रानी चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, चापेकर बंधु, चन्द्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर, मदललाल ढींगरा, बिरसा मुण्डा सरीखे हजारों युवा देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे गए। उस समय भारत को पूर्व की भांति एक संगठित सेना की कमी खलने लगी जो अंग्रेजों से लड़ सके। बहुत प्रयासों के बाद भी यह हो न पाया। ब्रिटिश अत्याचार में समय बीतता गया और दूसरा विश्व युद्ध सर पर आ गया और अंग्रेजों को अपना वर्चस्व बचाने के लिए भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी। तब भारत के एक युवा क्रांतिकारी नेता ने भारतीयों के अंग्रेजों की तरफ से लड़ने का विरोध किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। वह युवा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। अंग्रेजों द्वारा इस समय उन्हें नजरबंद किया गया और नेता जी मौका देख कर जर्मनी चले गए। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस किसी भी तरह से भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। उनका मानना था कि हमें अंग्रेजों के स्वयं देश छोड़ के जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु युद्ध के कारण उनकी अस्थिरता का फायदा उठाकर हर प्रकार से अपनी स्वतंत्रता के प्रयास करने चाहिए।

जब नेताजी जमर्नी पहुंचे तब तक आजाद हिंद फौज बन चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की

सेना से सशस्त्र लड़ने के लिए, रास बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी थी। आजाद हिंद फौज के निर्माण के लिए जापान ने उनका पूर्ण सहयोग किया था। रास बिहारी बोस के आमंत्रण पर नेताजी सुभाष जर्मनी से जापान गए। 1943 में नेताजी ने टोक्यो रेडियो से घोषणा की, 'अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वह स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे, हमें भारत के भीतर और बाहर से स्वयं भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा'। नेताजी सुभाष के इस आह्वान के बाद रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान नेतीजी सुभाष के हाथों में सौंप दी। आजाद हिंद फौज में उस समय देश से बाहर रह रहे लोग शामिल हुए जो जापान में बंदी बनाकर लाए गए थे। बाद में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी इसमें भर्ती किए गए।

21 अक्तूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार 'आजाद हिंद सरकार' की स्थापना की। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपीन्स, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत ग्यारह देशों ने मान्यता भी दी। नेताजी के आह्वान के बाद अंग्रेजों से छुप-छुपाकर हजारों भारतीय आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए देश से निकले। आजाद हिंद फौज में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी थी। 22 अक्तूबर को आजाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में सौंपी गई। इस फौज में कुल 85000 के करीब सैनिक थे। दिसम्बर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समुह आजाद हिंद सरकार को दे दिए और वह भारत का पहला स्वाधीन भूभाग बना। 30 दिसम्बर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहराया गया। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के बाद नेताजी सुभाष ने उन द्वीपों का नामकरण भी किया। अंडमान का नाम 'शहीद द्वीप' तथा निकोबार का 'स्वराज्य द्वीप' रखा गया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज और सरकार को बहुत सशक्त बनाया। उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं और संसाधन जुटाने के प्रयास किए। आजाद हिंद सरकार की अपनी मुद्रा थी, आजाद हिंद रेडियो था जिसके माध्यम से वह अपना संदेश भेजते और संचार करते थे। आजाद हिंद सरकार की अपनी डाक टिकट और आजाद हिंद बैंक भी था।

फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर भयंकर आक्रमण कर कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को स्वतंत्र कराया। मार्च 1944 को वह भावुक पल आया जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने भारत की भूमि मेघालय के माइरंग में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी के नाम एक संदेश प्रसारित किया, इस प्रसारण में उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की और देश को स्वतंत्र कराने की आजाद हिंद फौज की इस लड़ाई के लिए शुभकामनाएं मांगी। इंफाल और कोहिमा के मोर्चों पर कई बार आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को हराया। इस युद्ध में आजाद हिंद फौज के भी हजारों सैनिक बलिदान हो गए। 22 सितम्बर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए नेताजी सुभाष ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा- ''हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है।'' 1945 आते-आते द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी और इटली को हार का सामना करना पड़ा और जापान पर अमरीका द्वारा गिराए गए प्रमाणु बम से लाखों लोग मारे गए, जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कहां गए, यह आज तक पहेली बना हुआ है। बहुत सी कहानियां उनको लेकर गढ़ी गई, लेकिन विश्वास किसी पर नहीं होता। इसलिए इस संबंध में यहां कुछ न बोलना ही ठीक है। बिना हथियार और आर्थिक सहासता के बड़ी कठिन परिस्थितियों में लड़ते हुए आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा।

आत्मसमर्पण के बाद सैनिकों को दिल्ली ले जाया गया और पूरे देश को डराने के लिए आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। भारत को डराने के लिए इस मुकदमें ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक नए विद्रोह की शंरुआत कर दी। पूरा भारत भड़क उठा और जिस भारतीय सेना के बल पर अंग्रेज राज कर रहे थे, उसने विद्रोह कर दिया। इससे उपजे नौसैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में अंतिम कील जड़ दी और अंततः उन्हें भारत को स्वाधीन करने की घोषणा करनी पड़ी।

आजाद हिंद सरकार के गठन का यह 75वां वर्ष चल रहा है। 21 अक्तूबर 2018 को इसके 75 वर्ष

पूरे हुए। यदि किसी अन्य देश में इतनी बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई ऐसी कूटनीति और शस्त्रों से लड़ी गई होती, तो आज उस देश ने नाजाने इस शौर्य गाथा पर क्या कुछ लिख दिया होता, पूरे विश्व में अपने शौर्य का प्रचार किया होता। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की इस पूरी यात्रा और संघर्ष के पीछे केवल नेताजी सुभाषचंद्र बोस की ही हाथ था। लेकिन इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भारत के बाहर तो क्या भारत के भीतर भी भारत की इस शौर्य गाथा और आजाद हिंद फौज के इस संघर्ष को जानने और मानने वाले अधिक लोग नहीं है। इसे कहने में किंचित मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश की राजनीती और उससे संबंधित लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका सही स्थान नहीं दिलाया। लोग बिना कुछ किए ही देश में नेता बन गए और इतिहास में छा गए और नेताजी सुभाष के भारत की स्वतंत्रता के लिए पल-पल किए गया संघर्ष इतिहास से ही गायब कर दिया गया। इस देश की राजनीति द्वारा न ही कभी उन्हें याद किया गया और न ही आजाद हिंद फौज को।

स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद देश ने वो पल देखा जब 21 अक्तूबर 2018 को आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्ष गांठ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर वर्ष में दूसरी बार तिरंगा फहराया और नेताजी सुभाष और आजाद हिंद फौज के देश के प्रति योगदान को याद किया। भारत के प्रधानमंत्री ने इसे भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के कईं वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, नेताजी सुभाष के रिश्तेदार और आजाद हिंद फौज से संबंधित लोग रहे। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्रचीर से कहा- ''आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। इस सरकार ने भारत के लोगों को भारतीय की नजर से देखना सिखाया।'' आखिर देश की सरकारों को इतने वर्ष क्यों लग गए आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष के योगदान को याद करने में। पूरा प्रयास किया गया कि देश अपने वीर सैनानियों, महापुरुषों को भूल जाए और देश की स्वतंत्रता और उसके निर्माण में कुछ लोगों और परिवार के लोगों को ही याद रखे। सरकारें चाहे भूल गई हों, लेकिन आधी अधुरी जानकारियों के साथ इस देश ने सदैव नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को सदैव याद रखा। आजाद हिंद फौज का प्रयाण गीत 'कदम कदम बड़ाए जा' का प्रयोग भारतीय सेना आज भी अपने प्रयाण गीत के रूप में करती है। ■

शोधार्थी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

खबर

जबलपुर में अभाविप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज

जबलपुर (म.प्र.) साइंस कॉलेज में 3 अगस्त को प्राध्यापक के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग करने के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। पानी की बौछार से भीड़ तितर-बितर तो हो गई लेकिन इसके बावजूद परिषद् कार्यकर्ता अपने मांगों को लेकर डटे रहे और कुछ कार्यकर्ताओं ने बेरीकेड्स तोड़कर अंदर कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग कर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। ओमती पुलिस ने उप निरीक्षक नवल सिंह परस्ते की शिकायत पर अभाविप के 35 कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

अभाविप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महाविद्यालय में प्राध्यापक से मारपीट करने वाले एनएसयूआई नगर अध्यक्ष विजय रजक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है उल्टे शांतिपूर्वक विरोध करने वाले परिषद् कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है । परिषद् ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस शासन आते ही पुलिस परिषद् से जुड़े कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है। ■

अभाविप के 70 वें स्थापना दिवस पर आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा देश भर में स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया । अभाविप अपने स्थापना दिवस यानी 9 जुलाई को 'राष्ट्रीय छात्र दिवस' के रूप में मनाती है ।

राष्ट्रीय छात्र दिवस को मौके पर देश भर में वृक्षारोपण, प्रतिभा सम्मान समारोह, समान्य ज्ञान प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, मैराथन आदि आयोजित किये गये । अभाविप दिल्ली ने राष्ट्रीय छात्र दिवस पखवाड़े के तहत नारायणा मिनी स्टेडियम में मैराथन का आयोजन किया । मैराथन को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि अभाविप अपने स्थापना काल से छात्रहित के साथ समाज और राष्ट्रहित का कार्य किया है । परिषद् के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि अपने पढ़ाई के साथ - साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे । इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण की भी अपील की । वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा इस तरह के पहल से युवाओं में राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध होता है । परिषद् एक ऐसा छात्र संगठन है जो समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है । उन्होंने अभाविप के पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहती है ।

अभाविप उत्तरांचल के कार्यकर्ताओं ने 70 वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ पौधारोपण कर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया । परिषद् कार्यकर्ता के मुताबिक अभाविप उत्तरांचल के द्वारा प्रांत भर में पौधरोपण अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत हजारों की संख्या में फलदार पौधे लगाए लगे हैं ।

वहीं चंडीगढ़ में स्थापना दिवस के मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ । 12 वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 250 से अधिक मेधावी छात्र - छात्राओं को सम्मानित किया गया । प्रतिमा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि छात्रों को संबोधित करते हुए आप ही इस देश का भविष्य हैं, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए । इस दौरान उन्होंने देश के प्रति छात्रों को उनके कर्तव्य से भी परिचित करवाया ।

हैदराबाद में अभाविप के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी में उपस्थित कार्यकर्ताओं को अभाविप के इतिहास व विकास से परिचित करवाया गया । वक्ताओं ने कहा कि अभाविप अपने स्थापना काल से छात्रहित के साथ समाज और राष्ट्रहित का कार्य किया है। आज हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त है। अभाविप का 70 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यही एक ऐसा छात्र संगठन है जिसके सदस्य छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक-शिक्षिकाएं भी होती हैं, जो एक साथ मिलकर कार्य करते है। ■

अभाविप हिमाचल प्रदेश ने रचा इतिहास, एक दिन में लगाये 72 हजार पौधे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा एक दिन में 72 हजार पौधरोपण कर इतिहास रचा है । अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी के मुताबिक इसकी रूपरेखा बहुत पहले ही तैयार कर दी गई थी यही कारण है कि एक दिन में लगभग 72 हजार पौधे लगाये गए हांलाकि हमारा लक्ष्य एक लाख पौधरोपण करने का था । उन्होंने पौधरोपण का आंकड़ा बताते हुए कहा कि किनौर (रिगांगपियो इकाई) में 250, रामपुर में 5030, शिमला ग्रामीण 1090, शिमला शहरी क्षेत्र 6167, सोलन 8450, सिरमौर 3450, उना 5703, डेहरा 2500, हमीरपुर 8900, बिलासपुर ल1740, सुदंरगढ़ 2700, मंडी 6115, कुलू 4150, पालमपुर 1300, कांगड़ा 7300, नुरपुर 3758, चंबा में 2450 में पौधे लगाये गये । इस अभियान में कुल मिलाकर 20,316 कार्यकर्ता सहभागी हुए।

बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटे अभाविप कार्यकर्ता

"न घर की चिंता है, न किसी और बात की... बस किसी तरह जान बच जाये" - यह वाक्य अभी भारत के लाखों लोगों की जुंबा पर है और हो भी क्यों न ! जब मौत आपके आंखों के सामने तांडव कर रहा हो तो आप सलामती की दुआ ही मांग सकते हैं । हर साल बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर होते हैं, हजारों लोगों के अपने असामयिक काल के गाल में समा जाते हैं लेकिन प्रकृति का कोप है कि छुटने का नाम ही नहीं ले रहा । इस साल भी असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ के कहर से लाखों लोग बेघर हो चुके है, अनेकों की जानें जा चुकी है । बाढ़ के कारण असहाय और बेघर हो चुके पीड़ितो बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता आशा की किरण बनकर सामने आई है । बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की बात हो या भूखे को भोजन कराने की या फिर बीमारी से बचाने के लिए मेडिकल कैंप लगाने की...परिषद् के कार्यकर्ता दिन - रात समर्पण भाव से लगे हैं ।

बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी फिर तांडव का रूप लिया है । बाढ़ के कारण लोगों के घर डूब चुके हैं । लोग अपने - अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं । झंझारपुर के बाढ प्रभावित क्षेत्र सहित अन्य भागों अभाविप के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री एवम मेडिकल कैम्प चलाया गया । वहीं असम में लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए परिषद् के कार्यकर्ता नाव इत्यादि के साथ दिन - रात जुटे रहे । केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भी बाढ़ के कारण हालात भयावह बने हुए हैं । भारी बारिश के कारण शुकवार को पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में जमीन दरकने और मकान गिरने की घटनाओं में बहुत लोगों की मौत हो गई जबकि असम में साढ़े आठ लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है लगभग दो दर्जन के अधिक लोगों की जानें भी गई । असम, बिहार, उत्तर - प्रदेश के बाद केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बाढ़ के कारण स्थिति काफी भयावह बन चुकी है ।

बाढ़ पीड़ितो की मदद के लिए अभाविप ने किया भिक्षाटन

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना से लेकर पूर्वोत्तर के अरूणाचल प्रदेश तक देश के अनेक हिस्सों में भिक्षाटन किया। भिक्षाटन पर निकले कार्यकर्ताओं ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायियों के बीच जाकर बाढ़ राहत कोष में सहयोग की अपील की। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जायेगी । परिषद् के कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं । अभी हमने देश भर में भिक्षाटन अभियान चलाया है । संग्रहित राशि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भेजी जाएगी। परिषद् का प्रत्येक कार्यकर्ता मुश्किल की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है । हम बाढ़ के कारण जान खोने वाले नागरिकों की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करते हैं एवं यह आशा करते हैं किं सरकार शीघ्र स्थिति पर नियंत्रण पाकर पुनर्वास आदि कार्यों पर तेजी से कार्य करेगी। ■

भारत को अग्रणी देशों में स्थापित करेगी चंद्रयान-2 की सफलता

| उमाशंकर मिश्र |

चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-2 को पहुंचाने लिए भारत के बाहुबली रॉकेट जीएसएलवी एमके-3 (भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण-3) की जादुई उड़ान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। उधर आत्मविश्वास से भरे इसरो के चेयरमैन के. सिवन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में शांतचित्त होकर इस उड़ान से जुड़े महत्वपूर्ण घटकों को डिस्प्ले करने वाले एक कंप्यूटर टर्मिनल पर नजरें गड़ाकर बैठे थे।

लॉन्च के 17 मिनट बाद कमांड सेंटर के डिस्प्ले पैनल पर एक संदेश उभरता है-"सी25 शट ऑफ", जो उच्च चरणीय क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन (सीयूएस) के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन को दर्शाता है। यह देखकर इसरो चेयरमैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर जाती है। लॉन्च के 993.8 सेंकड बाद सीयूएस से चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान के अलग होने के साथ ही सिवन की मुस्कान को अधिक गहरा होते हुए देखा जा सकता था। इस मिशन को सफल बनाने वाले अपने साथी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाने के बाद प्रसन्नचित्त सिवन ने घोषणा करते हुए कहा कि "लॉन्च हमारी अपेक्षा से अधिक सफल रहा है।"

चंद्रयान-2 की लान्चिंग के पहले प्रयास से ठीक 56 मिनट पहले ईंधन भरने के दौरान सीयूएस इंजन में खामी उजागर होने के बाद उड़ान को रद्द करना पड़ा था। इस तकनीकी खामी से उपजी आशंकाओं से अभी कोई पूरी तरह उबर नहीं पाया था। इस बात का दबाव नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ मिशन को देखने पहुंचे लोगों के चेहरे पर भी झलक रहा था। लेकिन, के. सिवन की घोषणा के बाद सभी ने राहत की सांस ली।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का दूसरा चंद्र अभियान चंद्रयान-2 लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-2 के मिशन का उद्देश्य चांद के उस हिस्से (दक्षिणी) की जांच-पड़ताल करना है जहां अब तक कोई यान नहीं पहुंच सका है। यान चांद में

जीवन की संभावनाओं संबंधी कई शोध करेगा। सितंबर के पहले सप्ताह में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर की'सॉफ्ट लैंडिंग' कराई जाएगी। चंद्रमा के इस हिस्से पर अब तक कोई देश नहीं पहुंचा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा।

चंद्रयान-2 अपने साथ एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर लेकर गया है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा, जबकि लैंडर 'विक्रम' चांद की सतह पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' करेगा। इसके बाद लैंडर के अंदर से रोवर 'प्रज्ञान' बाहर निकलेगा और अपना अन्वेषण कार्य शुरू कर देगा। चंद्रयान-2 का कुल वजन 3.8 टन (3,850 किलोग्राम) है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का वजन 2,379 किलोग्राम है। इसका आकार 3.2*5.8*2.1 मीटर है। इसकी मिशन आयु एक वर्ष की है। चंद्रयान-2 के पूरे मिशन में ऑर्बिटर की भूमिका बेहद अहम है, जो चांद की कक्षा पर मौजूद रहेगा। इसी के जरिये चांद की सतह पर उतरने वाले विक्रम लैंडर और धरती पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों के बीच संपर्क हो पाएगा।

चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर चांद की सतह पर शोध करने के लिए कई उच्च क्षमता के उपकरण लगाए गए हैं। इसमें चांद का डिजिटल मॉडल तैयार करने के लिए टेरेन मैपिंग कैमरा, सतह पर तत्वोंउ की जांच के लिए लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सड-रे स्पेटक्ट्रो मीटर (क्लौस), क्लास को सोलर एक्सा-रे स्पेजक्ट्रयम इनपुट मुहैया कराने के लिए सोलर एक्स -रे मॉनीटर, पानी और खनिजों पर शोध के लिए इमेजिंग आईआर स्पेरक्ट्रो मीटर, मैपिंग एवं बर्फ का पता लगाने के लिए डुअल फ्रीक्वें सी सिंथेटिक अपर्चर रडार, चांद की ऊपरी सतह पर शोध के लिए चंद्र एटमॉसफेयरिक कंपोजिशन एक्स प्लोारर-2, ऑर्बिटर हाई रेजॉल्यूपशन कैमरा और डुअल फ्रीक्वेंसी रेडियो जैसे उपकरण शामिल हैं।

अधिकतर आम लोगों की यही धारणा है कि धरती से प्रक्षेपण किए जाने के बाद चांद की ओर सीधा बढ़ते हुए अंतरिक्ष यान अंततः उसकी सतह पहुंचेगा। पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई अंतरिक्ष यान किसी दूसरे ग्रह के सफर पर निकलता है तो उसे कई दिनों तक पृथ्वीा की कक्षा में रहना पड़ता है। इस दौरान पृथ्वीर की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यान को दूसरे ग्रह पर उतारने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। वैज्ञानिक चंद्रयान-2 को भी इसी तरह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की कक्षा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं।

पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते हुए चंद्रयान-2 वहां अपना स्थापन निरंतर बदल रहा है और ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-2 में मौजूद प्रणोदक तंत्र के जरिये ऐसा हो रहा है। पृथ्वीप का चक्कनर लगाते हुए चंद्रयान-2 कुछ दिन लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टनरी में स्थामपित रहेगा। लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टपरी अंतरिक्ष का वह रास्ताा होता है, जिसके जरिये अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा की ओर प्रवेश करता है। लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टगरी में स्थाेपित होने के बाद चंद्रयान-2 चांद की ओर जाने के लिए आगे बढ़ जाएगा।

> चंद्रयान-२ अपने साथ एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर लेकर गया है। चंद्रयान-२ का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा, जबकि लैंडर 'विक्रम' चांद की सतह पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' करेगा। इसके बाद लैंडर के अंदर से रोवर 'प्रज्ञान' बाहर निकलेगा और अपना अन्वेषण कार्य शुरू कर देगा।

चंद्रयान-2 चांद के उस हिस्से में उतरेगा, जिस पर उत्तकरी ध्रुव की अपेक्षा बहुत कम शोध हुआ है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शोध से यह पता चलेगा कि आखिर चांद की उत्पित्ति और उसकी संरचना कैसे निर्मित हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर मंडल के आरंभिक दौर के जीवाश्म चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के हिस्सें में मिल सकते हैं। चांद की सतह की मैपिंग करके चंद्रयान-2 वहां मौजूद तत्वों का पता लगाने का भी प्रयास करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावनाएं भी काफी अधिक हैं।

चंद्रयान-2 की सफलता भारत के अंतरिक्ष अभियान में काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया के कुछ शक्तिशाली और प्रौद्योगिकी संपन्न देश अंतरिक्ष में लगातार अन्वेषण कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे दूसरे ग्रहों में छिपे संसाधनों की खोज करना है। भारत जिस गति से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल कर सकता है। ■

सफलता और सफल होने की उम्मीदों का दौर

आकाश कुमार राय

खेल के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत का सूर्य लगातार उदित हो रहा है। खेल कोई भी हो, उसका प्रारूप कुछ भी हो.. भारतीय खिलाड़ी या तो विजेता साबित हो रहा है या फिर अपने खेल कौशल से लोगों को अपना मुरीद बना रहा है। कमोबेश हालात यह हैं कि चाह कर भी कोई देश, संस्था या व्यक्ति भारतीय प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। एक तरफ 19 दिनों में पांच गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय एथलीट हिमा दास का नाम सबकी जुबां पर छाया हुआ है, तो दूसरी तरफ क्रिकेट में विश्वविजेता नहीं बन पाने के मलाल के बावजूद भारतीय टीम और उनके खिलाड़ियों का चहुंओर डंका बज रहा है। सिर्फ क्रिकेट ही क्यों निशानेबाजी, गोल्फ, एथलेटिक्स और कुश्ती में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में कई भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इसमें पहला नाम सबसे खास 'हिमा दास' का आता है। जिन्होंने महज 19 दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में एक के बाद एक पांच स्वर्ण पदक जीत कर खेल की दुनिया में सनसनी मचा दी। हिमा का यह कमाल वक्त के लिहाज से भी खास रहा क्योंकि यह वो समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में क्रिकेट विश्वकप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही थी। इसी बीच भारतीय स्प्रिंटर हिमा दास ने एक के बाद एक स्वर्ण पद जीतकर सबको चकित कर दिया। फिर एक वक्त आया जब भारतीय क्रिकेट टीम विश्वकप से बाहर हो गई। विश्वकप क्रिकेट में मिली हार की मायूसी को हिमा ने अपने स्वर्ण पदकों के सुखद अहसास से काफी हद तक कम किया।

हिमा दास के पदकों के सफर की बात करें तो 02 जुलाई 2019 को पोलैण्ड में आयोजित पोज़्नान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में उन्होंने 200 मीटर रेस में पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके लिए हिमा ने 23.65 सेकेंड्स का समय लिया। पोलैंड में ही 07 जुलाई, 2019 को आयोजित कुट्नो एथलेटिक्स मीट के 200 मीटर दौड़ को 23.97 सेकेंड्स में पूरा कर हिमा ने एक और सोने का तमगा अपने नाम किया। भारत की नई उड़न परी हिमा दास यहीं नहीं रुकीं। 13 जुलाई, 2019 को चेक गणराज्य की क्लांडो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर दौड़, 17 जुलाई 2019 को चेक गणराज्य में ही टाबोर एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस और फिर 20 जुलाई 2019 को चेक गणराज्य के नोवे मेस्टो में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया।

एथलेटिक्स में पदक की उम्मीदों को बलवती करने वाली प्रतिभाओं की सूची में दूसरा नाम दुती चंद का आता है। भारत की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर दुती चंद ने इटली में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इतिहास रचा। 11.24 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाली दुती महिलाओं के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनीं। उन्होंने 100 मीटर की रेस के लिए 11.32 सेकेंड का समय निकाला।

भविष्य की उम्मीदों को परवाज देने के क्रम में कई भारतीय युवाओं ने खेल की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। इसमें एक नाम युवा गोल्फर अर्जुन भाटी का भी है। अर्जुन ने कैलिफोर्निया में खेले गए एफसीजी कालवे जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2019 का खिताब अपने नाम किया है। हालांकि जीत की इस खुशी के बीच अर्जुन की दिल्ली इच्छा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर देश का मान बढाने की है। उन्होंने कहा, 'अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप जीतना खुशी का पल है लेकिन असली खुशी तब होगी जब वो भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेंगे।'

एक ओर जहां युवा जोश नित नये कमाल दिखा रहा है, वहीं अनुभव भी अपनी तैयारियों के पुख्ता आजमाइश में लगा है। इसकी बानगी इंडोनिशिया के लाबुआन बाजो में देखने को मिली, जहां 36 वर्षीय एमसी मैरीकॉम ने प्रेजिडेंट कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपनी श्रेष्ठता साबित की। यहां ओलंपिक कांस्य पदकधारी मैरीकॉम 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एप्रिल फ्रैंक्स को हराकर चैम्पियन बनीं। मैरीकॉम कहा कि देश के लिए कोई भी पदक जीतना खुशी की बात है लेकिन उनका लक्ष्य

वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जिसके बाद वह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 07 से 21 सितंबर के बीच रूस के येक्टरिनबर्ग में होगी।

बॉक्सिंग में मैरीकॉम के अलावा नीरज स्वामी ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज ने 49 किग्रा वर्ग के फाइनल में फिलीपींस के एस. मकादो जूनियर को मात दी। नीरज के करियर का यह पहला पदक है। वहीं अनंत प्रह्लाद ने 52 किग्रा वर्ग के फाइनल में अफगानिस्तान के एस. रहमानी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इन युवा तुर्कों ने जता दिया है कि विश्व मुक्केबाजी में भारतीय आन-बान-शान को संभालने का दायित्व मजबूत कंधों पर है।

वैश्विक पटल पर भारतीय खेल प्रतिभा की धूम ही है कि अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ(एआईएफएफ) ने भारत की पूर्व दिग्गज महिला धावक पीटी उषा को एआईएफएफ वेटरन पिन अवॉर्ड के लिए नामित किया है। ऐसे में उषा को 24 सितंबर को कतर में होने वाली आईएएफ की 52वीं कांग्रेस में शामिल होना है, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

खिलाड़ियों की नई पौध से साथ भारतीय हॉकी भी अपने स्वर्णीम इतिहास को दोहराने की प्रतिबद्धता में लगा है। उस पर खास यह है कि पुरुष हॉकी टीम के साथ ही महिला हॉकी टीम भी कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पर प्रदर्शन कर रही है। अभी हाल ही महिला हॉकी टीम ने मेजबान जापान को हराकर हिरोशिमा में खेले गए महिला एफआईएच सीरीज हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया। भारत की इस जीत में कप्तान रानी रामपाल और ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर की भूमिका अहम रही। हिरोशिमा में मिली जीत का खास पहलू यह रहा कि भारत अब ओलंपिक क्वॉलिफायर के लिए क्वॉलिफाई कर गया है।

वर्तमान में भारतीय निशानेबाजी(शूटिंग) का खेल भी अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा है। इसका कारण है जूनियर शूटरों का उभरकर सामने आना। जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी का अहसास करा रहे हैं। यही वजह है कि गगन नारंग, हीना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला, जीतू राय, राही सरनोबत, संजीव राजपूत, अंजुम मौदगिल जैसे वरिष्ठ शूटरों को टोक्यो ओलंपिक का टिकट पाने के लिए जूनियर निशानेबाजों से जोरआजमाइश करनी होगी। आपसी प्रतिस्पर्धा की यह स्थिति भारत में खेल के सही दिशा में बढ़ने का द्योतक है।

वर्तमान में भारतीय निशानेबाजी(शूटिंग) का खेल भी अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा है। इसका कारण है जूनियर शूटरों का उभरकर सामने आना। जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी का अहसास करा रहे हैं। यही वजह है कि गगन नारंग, हीना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला, जीतू राय, राही सरनोबत, संजीव राजपूत, अंजुम मौदगिल जैसे वरिष्ठ शूटरों को टोक्यो ओलंपिक का टिकट पाने के लिए जूनियर निशानेबाजों से जोरआजमाइश करनी होगी।

बजट में भी बढ़ोतरी

एक तरफ खेल को लेकर जहां युवा पीढ़ी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से भी मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। इस सामंजस्य का ही परिणाम है कि कोशिशें रंग लगा रही हैं और प्रतिभा पदकों में तब्दील हो रही है। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का स्तर बढ़ाने और पदक की उम्मीदों को पुख्ता करने के लिए तैयारियों का बेहतरीन मंच देने की मंशा से केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए खेल बजट में 214.20 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जो पिछले बजट से करीब 10 फीसदी अधिक है। सरकार द्वारा खेल विभाग के लिए बजट को साल 2018-19 के 2002.72 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 के लिए 2,216.92 करोड़ किया गया है।

भविष्य की संभावनाएं

वर्ष 2019 का आधा भाग कई सफलताओं और सफल होने की उम्मीदों के साथ गुजर चुका है। साथ ही ये आने वाले वक्त के लिए कई मजबूत आधार भी दे गया है, जिसके बल पर भारतीय खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से देश का मान-सम्मान बढ़ाएंगे। भविष्य की चुनौतियों में सबसे अहम अगले साल होने वाला टोक्यो ओलंपिक है, जिसके लिए वर्ष भर खिलाड़ी मेहनत करते हैं। वैसे भी भारतीय खेल प्रतिभाएं उस दौर में हैं जहां खिलाड़ी ओलंपिक्स में सिर्फ शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि जीतने का जज्बा लेकर पहुंतके हैं। जीत को लेकर खिलाड़ियों की मजबूत मानसिकता का नजारा रियो ओलंपिक और 21वें राष्ट्रमंडल खेल में दिखा, जहां प्रयासों को पदकों का पुरस्कार मिला। ऐसे में एक बार फिर उम्मीद की जा सकती है कि खिलाड़ी अपने बहेतरीन प्रदर्शन के बलबूते देश और विदेश में भारत का मान बढ़ाएंगे। ■

लेखक हिन्दुस्थान समाचार एजेंसी के मुख्य उप संपादक हैं।

क्या अनुच्छेद 370 को हटाने के पहले जम्मू - कश्मीर के नेताओं को भरोसे में लेना चाहिए था ?

पांच अगस्त 2019 को राजपत्र पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू – कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड (क) को छोड़कर सभी प्रावधान निरस्त हो गये और इसके साथ ही जम्मू – कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। संसद में भारत के गृह मंत्री ने कहा जम्मू – कश्मीर और लद्दाख को अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद देश भर में खुशी का माहौल है वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों को इस पर ऐतराज है। उन पार्टी के नेताओं की मानें तो जम्मू – कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के पहले वहां के स्थानीय नेताओं को भरोसे में लेना चाहिए था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करके गलत किया है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जो फैसला वर्तमान सरकार ने ली है वह पहले हो जाना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं पाया। इस फैसले के बाद जम्मू – कश्मीर के लोगों में खुशहाली आएगी। उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए "अनुच्छेद 370 को हटाने के पहले जम्मू – कश्मीर के नेताओं को भरोसे में लेना चाहिए था" विषय पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के प्रशिक्षु पत्रकार राधा शर्मा, ऋषभ और विक्की पाल ने देश भर के लोगों से बात की और उनके विचार जाने। प्रस्तुत है कुछ चुनी हुई प्रतिक्रियाएं –

मेरे अनुसार अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले जम्मू - कश्मीर के नेताओं को भरोसे में कभी नहीं लेना चाहिए था, सरकार उसे अगर भरोसे में लेती तो कभी भी अनुच्छेद 370 नहीं हटा पाती। क्योंकि कश्मीरी नेता कभी नहीं चाहते ही अनुच्छेद 370 हटे और जम्मू - कश्मीर का विकास हो। क्योंकि जम्मू - कश्मीर का विकास होने से इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होने का डर है। एक देश में दो विधान - दो निशान कैसे हो सकता है। सरकार इसे हटाकर बहुत अच्छा काम किया है अब जम्मू - कश्मीर के लोग भारत के अन्य भागों से और अधिक आत्मीयता के साथ जुड़ पायेंगे वहां पर विकास होगा। स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त होगी।

— **हर्ष पराशर,** मोहन नगर (गाजियाबाद)

जो नेता (महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला) अपने भाषण में कहे कि अगर अनुच्छेद 370 से छेड़छाड़ किया तो कश्मीर में तिरंगा थामने वाला कोई नहीं बचेगा, 35 ए को नष्ट करने की कोशिश की गई तो आग लग जाएगा । ऐसे नेता पर कोई भी सरकार कैसे भरोसा कर सकता है ? अनुच्छेद 370 और 35 ए को सरकार ने संविधान के तहत हटाया है । इस पर दोनो सदनों लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, राष्ट्रपति ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये उसके बाद इसे हटाया गया । अनुच्छेद 370 के आड़ में कश्मीरी नेता मनमानि करते थे । 2002 में जब फारूख अब्दुल्ला जम्मू - कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया था कि 2026 के पहले जम्मू - कश्मीर में परीसीमन (डिलिमिटेशन) नहीं कर सकते हैं जबकि पूरे भारत में 10 - 10 साल में समीक्षा हो सकती है । लॉ एंड ऑर्डर को बनाये रखने के लिए इन नेताओं को जनता से दूर रखना जरूरी था । सरकार ने जम्मू - कश्मीर को लेकर जो फैसला लिया वह हमारे राज्य के हित में है, मैं सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं ।

— **अर्जुन खजूरिया,** ऊधमपुर (जम्मू - कश्मीर)

जम्मू - कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने या संशोधित करने के पहले भारत सरकार को वहां के नेताओं से को भरोसा में लेना चाहिए था । उनसे सलाह - मशवरा करना चाहिए था क्योंकि यह उनके राज्य से जुड़ा मसला है । लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में कोई भी सरकार एकतरफा निर्णय नहीं ले सकता है । अनुच्छेद 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने का धागा था दीवार नहीं ।

— **रक्षित वर्मा,** राजबाग (उत्तर प्रदेश)

कुछ विपक्षी पार्टियां सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने से दुःखी है । उनका ये आरोप है कि सरकार ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया । अगर सरकार कदम उठाने के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां खासकर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के नेताओं को भरोसे में लेने का प्रयास करती तो हो सकता है सरकार अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को नहीं हटा पाती । ये पार्टियां अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए देश में उन्माद फैलाने का काम कर रही है । इन लोगों में पाकिस्तान समर्थित एवं प्रेमी कुछ राजनेता ही नहीं बल्कि एक कथित बुद्धिजीवियों की भी टोली है जो आग में घी डालने का काम करते हैं । उन्हें देश हित से दूर दूर तक सरोकार नहीं है । भले ही सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने की अग्रिम जानकारी न दी हो लेकिन इसे राज्यसभा एवं लोकसभा से पास करवाकर संवैधानिक समर्थन लिया है । अतः हम भारतवासियों का कर्तव्य है कि सरकार के इस निर्णय का समर्थन करें एवं जम्मू - कश्मीर एवं लद्दाख के नये निर्माण में योगदान दें ।

— **डॉ. राम किशोर सिंह,** सहायक प्राध्यापक (केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड)

ATTENTION

SOLID WASTE GENERATORS

THE NEW RULES
namely

Solid Waste Management Rules (SWM), 2016

(notified on 8th April 2016) replace the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000.

The Rules are now applicable beyond Municipal areas and extend to urban agglomerations, census towns, notified industrial townships, areas under the control of Indian Railways, airports, airbase, Port and harbour, defence establishments, special economic zones, State and Central government organizations, places of pilgrims, religious & historical importance.

Source segregation

Collection and disposal of solid waste

Waste processing and treatment

Promotion of waste to energy

Salient Features on SWM 2016

- Waste generators would now have to segregate waste into three streams- Biodegradables, Dry (Plastic, Paper, metal, Wood, etc.) and Domestic Hazardous waste (diapers, napkins, mosquito repellants, cleaning agents etc.) before handing it over to the collector.
- Institutional generators, market associations, event organisers and hotels and restaurants have been directly made responsible for segregation and sorting the waste and manage in partnership with local bodies.
- All hotels and restaurants will also be required to segregate biodegradable waste and set up a system of collection to ensure that such food waste is utilised for composting / biomethanation.
- The manufacturers or brand owners of sanitary napkins are responsible for awareness for proper disposal of such waste by the generator and shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.
- **The rules also stipulate zero tolerance for throwing; burning, or burying the solid waste generated on streets, open public spaces outside the generator's premises, or in the drain, or water bodies.**
- The SWM Rules, 2016 emphasise promotion of waste to energy plants.
- An event, or gathering organiser of more than 100 persons at any licensed/ unlicensed place, should ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency, as specified by local authority.
- As per the new rules, construction of landfills on hills shall be avoided.
- High calorific wastes shall be used for co-processing in cement or thermal power plants.
- Construction and demolition waste should be stored, separately disposed off, as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016

For detailed information visit : http://hppcb.nic.in/

Important: Any violation of the provision of the SWM Rules 2016 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Issued in public interest...

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 August, 2019
Date of Publishing: 8 August, 2019

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi

स्वस्थ हिमाचल का सपना साकार करेगी

आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित होगी 50 करोड़ आबादी

हिमाचल प्रदेश के 22 लाख लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

- लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का नि:शुल्क उपचार
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चयनित परिवार इस योजना के तहत लाभ के पात्र
- पूरे देश में सरकारी अथवा प्राईवेट पंजीकृत अस्पताल में इलाज की सुविधा
- पंजीकृत अस्पताल में इलाज के समय अपना राशन कार्ड / आधार कार्ड अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड साथ लेकर जाएँ।
- प्रदेश में अब तक सरकारी तथा प्राईवेट 175 अस्पताल पंजीकृत।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : अपने ज़िला में बी.एम.ओ/ सी.एम.ओ. से अथवा लॉग इन करें
www.hpsbys.in दूरभाष: 0177-2629840 HPSBYS

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी